

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीवित पशुओं का निर्यात

*182. प्रो. के.वी. थॉमस:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बकरी और भैंसों जैसे जीवित पशुओं का विदेशों में, विशेषकर खाड़ी के देशों में, निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री सुरेश प्रभु)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता

2300. श्री ओम बिरला:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि प्रतिदायों में लगने वाले अधिक समय के कारण कथित रूप से देश में निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता का क्षरण हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या सरकार ने इस ओर भी ध्यान दिया है कि कार्यशील पूंजी का अनुमानित रूप से 15-20 प्रतिशत पहले ही प्रतिदाय के रूप में भुगतान सरकार की तरफ बकाया है; और
- (घ) यदि हां, तो अटकी हुई पूंजी को शीघ्र जारी करने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ताकि भविष्य में स्थिति और अधिक न बिगड़े?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) और (ख): (i) शुरुआत में निविष्टि कर क्रेडिट (आईटीसी) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) के रिफंड में विलंब हुआ था। तथापि, प्रक्रिया को अब काफी हद तक सुव्यवस्थित किया गया है। कुल मिलाकर रिफंड के निपटान की दर 93.44 प्रतिशत है। भारत से निर्यातित माल पर भुगतान किए गए आईजीएसटी का रिफंड पूर्णतः स्वचालित है। लगभग 75 प्रतिशत मामलों में, आईजीएसटी रिफंड को निर्यातकों द्वारा संबंधित जीएसटी रिटर्न फाईल करने के 5 दिनों के अंदर स्वीकृत किया जाता है। 18 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार निपटान किए गए कुल जीएसटी रिफंड निम्नानुसार हैं:—

(राशि करोड़ रु० में)

	प्राप्त हुए	निपटान किए गए	निपटान की दर
आईटीसी रिफंड	51,417	46,873	91.16%
आईजीएसटी रिफंड	51,410	49,211	95.72%
कुल रिफंड	1,02,827	96,084	93.44%

(ii) मान्य निर्यात पर शुल्क-वापसी, अंतिम उत्पाद शुल्क और केन्द्रीय बिक्री कर का रिफंड वाणिज्य विभाग में प्राप्त बजटीय आबंटन के अनुसार किया जाता है। रिफंड करने में किसी विलंब के मामले में लागू ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान है।

(ग) और (घ)

रिफंड में विलंब के कारण कार्यशील पूंजी में अवरोध होता है। इस संबंध में रिफंड की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पहल की है—

- (i) रिफंड का सही तरीके से आवेदन करने में निर्यातकों को सहायता प्रदान करने तथा रिफंड आवेदनों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए तीन विशेष रिफंड अभियान चलाए गए हैं।
- (ii) कुछ रिफंड दावे निर्यातकों द्वारा गलत सूचना प्रदान करने जैसी त्रुटियों के कारण अवरुद्ध हो जाते हैं जिसके लिए आवश्यक प्रक्रिया प्रदान की गई है। अधिकारियों को विभिन्न त्रुटियों की वजह से अवरुद्ध ऐस दावों को पहलकारी रूप से शीघ्र प्रासेस करने के निर्देश दिए गए हैं।
- (iii) भारत से निर्यातित माल पर भुगतान किए गए आईजीएसटी के रिफंड को पूर्णतः स्वचालित किया गया है।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी

2296. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत बीस वर्षों के दौरान वार्षिक जीडीपी में निर्यातकों की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इस वर्ष के लिए जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी विगत चौदह वर्षों में न्यूनतम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) विगत 20 वर्षों की जीडीपी के संगत वार्षिक दर और निर्यातकों की वार्षिक वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) से (ग): पिछले 20 वर्षों में निर्यात और जीडीपी की वृद्धि दर और वर्तमान मूल्य पर जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी का विवरण अनुलग्नक - I में दिया गया है , जिससे पता चलता है कि जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 के दौरान 19.05% और वर्ष 2004-05 में 17.55% थी। तथापि, पिछले 4 वर्षों में हिस्सेदारी में कमी आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कम मांग और व्यापारिक वस्तुओं की कम कीमत, मुद्रा में उतार-चढ़ाव, निर्यात वाले गंतव्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धी निर्यात क देशों के बीच व्यापार समझौतों , निर्यात गंतव्य देशों द्वारा गैर-प्रशुल्क अवरोधों, क्रेडिट की लागत, लॉजिस्टिक्स की लागत, आदि की वजह से वैश्विक मंदी के कारण निर्यात में वृद्धि जीडीपी के अनुरूप नहीं रही है।

अनुलग्नक- I

दिनांक 24 दिसंबर 2018 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 2296 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

निर्यात और जीडीपी की वृद्धि दर तथा वर्तमान मूल्य पर जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी:

क्र. सं.	वर्ष	निर्यात	वृद्धि दर (%)	जीडीपी	वृद्धि दर (%)	जीडीपी में निर्यात का प्रतिशत अंश
1	1997-98	1,65,203	--	15,72,394	--	10.51
2	1998-99	1,95,280	18.21	18,03,378	14.69	10.83
3	1999-00	2,27,697	16.60	20,12,198	11.58	11.32
4	2000-01	2,78,126	22.15	21,68,652	7.78	12.82
5	2001-02	2,90,757	4.54	23,48,330	8.29	12.38
6	2002-03	3,55,556	22.29	25,30,663	7.76	14.05
7	2003-04	4,17,425	17.40	28,37,900	12.14	14.71
8	2004-05	5,69,051	36.32	32,42,209	14.25	17.55
9	2005-06	7,12,087	25.14	36,93,369	13.92	19.28
10	2006-07	9,04,872	27.07	42,94,706	16.28	21.07
11	2007-08	10,18,907	12.60	49,87,090	16.12	20.43
12	2008-09	13,28,765	30.41	56,30,063	12.89	23.60
13	2009-10	12,98,780	-2.26	64,77,827	15.06	20.05
14	2010-11	17,10,193	31.68	77,84,115	20.17	21.97
15	2011-12	21,43,931	25.36	87,36,329	12.23	24.54
16	2012-13	24,39,707	13.80	99,44,013	13.82	24.53
17	2013-14	28,56,781	17.10	1,12,33,522	12.97	25.43
18	2014-15	28,63,636	0.24	1,24,67,959	10.99	22.97
19	2015-16	27,28,641	-4.71	1,37,64,037	10.40	19.82
20	2016-17	29,46,243	7.97	1,52,53,714	10.82	19.31
21	2017-18 ^{पीई}	31,94,507	8.43	1,67,73,145	9.96	19.05

पीई: अनंतिम अनुमान

- स्रोत: 1. 1997-98 से 2003-2004-विवरण 1: समष्टि आर्थिक समुच्चय एवं जनसंख्या , राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी बैंक सीरीज 2011।
2. 2004-05 से 2010-11- विवरण 1: समष्टि आर्थिक समुच्चय , राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2014।
3. 2011-12 से 2016-17- विवरण 1.1- मौजूदा मूल्य पर राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण समुच्चय, 31.01.2018 को प्रकाशित राष्ट्रीय आय , उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण का प्रथम संशोधित अनुमान 2016-17।
4. 2017-18-प्रेस रिलीज, सीएसओ, एमओएसपीआई दिनांक 31.05.2018

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

काजू उद्योग

2225. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि केरल का काजू उद्योग संकट में है और यदि हां, तो इस संकट से उबारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि बैंको द्वारा ऋण वसूली की कार्रवाई ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है;

(ग) यदि हां, तो काजू उद्योग के ऋणों की पुनर्संरचना और पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने संकट के कारण बंद हुए काजू के कारखानों को फिर से खोलने की पहल की है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का उद्योगों को कच्चा काजू वाजिब कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु एक योजना बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का काजू उद्योग के पुनरुद्धार हेतु एक व्यापक परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी आर चौधरी)

(क): भारत में काजू उद्योग में कच्चे काजू के उत्पादन और काजू गिरी के निर्यात में एक सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2017-18 के दौरान कच्चे काजू का उत्पादन 81,17,045 मीट्रिक टन रहा जिससे वर्ष 2016-17 के दौरान हुए 7,79,335 मीट्रिक टन के उत्पादन की तुलना में 4.83% की वृद्धि और वर्ष 2015-16 के दौरान 6,70,300 मीट्रिक टन के उत्पादन की तुलना में 21.89% की वृद्धि दर्ज की गयी। इसी तरह वर्ष 2017-18 के दौरान काजू एवं संबंधित उत्पादों से निर्यात आय 5903.60 करोड़ रुपए (916 मिलियन अमेरिकी डालर) पर पहुंच गई जिससे विगत वर्ष की निर्यात आय 5,212.78 करोड़ रुपए (778 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 13.25% (रूपये में) की वृद्धि दर्ज की गई।

तथापि सरकार ने काजू उद्योग में कुछ वर्ग की समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं :-

- मौजूदा बजट सत्र में 01.02.2018 से कच्चे काजू के आयात पर मूल सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है।

- काजू के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है ।
- विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की मध्यावधि समीक्षा के तहत, काजू के लिए पण्यवस्तु निर्यात प्रोत्साहन स्कीम (एमईआईएस) को बढ़ाकर क्रमशः काजू गिरी के लिए 5% (3% से) तथा नमकीन/भुने हुए काजू के लिए 7% (5%से) कर दिया गया ।
- अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत कच्चे काजू के आयात से काजू गिरी के निर्यात हेतु संशोधित मानक इनपुटस आउटपुट मानदण्ड (एसआईओएन) मानदण्ड को 4 किलोग्राम से 5.04 किलोग्राम कर दिया गया ।
- 60 करोड रुपए के वित्तीय परिव्यय वाली काजू प्रसंस्करण इकाइयों में प्रक्रिया मशीनीकरण और स्वचालन के लिए मध्यावधि ढांचा (2017-2020) स्कीम का अनुमोदन किया

(ख) एवं (ग): तंगहाल इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए बैंकों की नीति और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, लेखा खातों का समय पर पुनर्गठन किया जा सकता है। इकाइयों के आर्थिक मूल्य को संरक्षित रखने के लिए, ऋणदाताओं एवं ऋणी के बीच पारस्परिक सहमति के आधार पर ऋण के नियमों एवं शर्तों में संशोधन करके पुनर्गठन किया जाता है । अतः ऋणों के पुनर्गठन के संबंध में सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है ।

(घ): कारखाने के बंद होने के लिए विभिन्न कारकों जैसे मजदूरी लागत में वृद्धि ऋणों के पुनः भुगतान में चूक, उचित प्रबंधन की कमी, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मांग-आपूर्ति की परिस्थिति आदि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वाणिज्य विभाग के पास बंद पड़े उद्योगों को फिर से शुरू करने के लिए कोई स्कीम नहीं है ।

(ङ): उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा काजू उपलब्ध करने के उद्देश्य से एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएफडब्ल्यू) ने परंपरागत तथा गैर परंपरागत राज्यों में काजू क्षेत्र का व्यापक विस्तार करने और जीर्ण काजू के स्थान पर उच्च उपज किस्मों के रोपण के साथ घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां तैयार की है। कुछ प्रमुख पहलें नव बागान विकास कार्यक्रम, काजू का पुनर्रोपण कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी प्रसार तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम आदि हैं । सरकार द्वारा किये गये प्रयासों से कच्चे काजू के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जैसाकि उपरोक्त पैरा (क) में उल्लेख किया गया है।

(च): वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

आयात और निर्यात का मूल्य

2197. श्री निशिकान्त दुबे:

श्री राजेश पाण्डेय:

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वित्त वर्षों क्रमशः 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 और चालू वित्त वर्ष के दौरान रुपया और अमेरिकी डॉलर दोनों की दृष्टि से भारत में हुए आयात और भारत से हुए निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन दोनों ही क्षेत्रों में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इस मंदी का मुख्य कारण क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क): पिछले चार वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान रुपये और अमेरिकी डॉलर दोनों के संबंध में भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात और आयात का मूल्य निम्नानुसार हैं:

वर्ष	(मूल्य करोड रूपए में)		(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
2014-15	18,96,445	27,37,087	3,10,352	4,48,033
2015-16	17,16,384	24,90,306	2,62,291	3,81,008
2016-17	18,49,434	25,77,675	2,75,852	3,84,357
2017-18	19,56,515	30,01,033	3,03,526	4,65,581
2017-18 (अप्रैल-नवम्बर)	12,57,811	19,44,355	1,94,935	3,01,308
2018-19 (अप्रैल-नवम्बर)*	15,14,370	24,07,274	2,17,517	3,45,643

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता, (* त्वरित अनुमान)

(ख): मौजूदा वर्ष 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में प्रमुख 30 वस्तुओं में से, 12 वस्तुओं में भारत के निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति रही है और 7 वस्तुओं में भारत के आयात में गिरावट का रुझान रहा है जिसका विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित करने वाले क्षेत्र				
क्र. सं.	क्षेत्र	2017-18 (अप्रैल-नवम्बर)	2018-19 (अप्रैल-नवम्बर)*	% परिवर्तन
1	काजू	657.58	435.29	-33.80
2	काँफ़ी	642.75	531.99	-17.23
3	लौह अयस्क	933.55	787.32	-15.66
4	सभी वस्त्रों का आरएमजी	11040.58	9976.14	-9.64
5	समुद्री उत्पाद	5232.81	4793.70	-8.39
6	चावल	4960.21	4602.81	-7.21
7	मांस, दूध और कुक्कुट उत्पाद	3117.57	2941.47	-5.65
8	रत्न और आभूषण	28025.64	27035.75	-3.53
9	फल और सब्जियां	1477.06	1439.93	-2.51
10	चाय	545.43	534.94	-1.92
11	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	3512.32	3452.60	-1.70
12	फ्लोर कवरिंग सहित जूट विनिर्माण	224.73	221.97	-1.23
आयात में गिरावट का रुझान प्रदर्शित करने वाले क्षेत्र				
1	दलहन	2464.09	664.00	-73.05
2	कपास कच्चा और अपशिष्ट	826.75	481.25	-41.79
3	परिवहन उपकरण	14647.41	11480.36	-21.62
4	मोती, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थर	22657.29	17828.32	-21.31
5	वनस्पति तेल	8177.64	6790.28	-16.97
6	धातु लौह अयस्क और अन्य खनिज	5712.36	5352.19	-6.31
7	सोना	23198.05	22083.09	-4.81

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता, (* त्वरित अनुमान)

निर्यात/आयात की घटती प्रवृत्ति के मुख्य कारणों में वैश्विक और घरेलू कारक जैसे कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग और आपूर्ति , मुद्रा में उतार-चढ़ाव, निर्यात वाले गंतव्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धी निर्यातक देशों के बीच व्यापार समझौते, निर्यात के गंतव्य देशों द्वारा गैर-प्रशुल्क अवरोध, भारत द्वारा आयात प्रतिबंध, क्रेडिट की लागत, लॉजिस्टिक्स की लागत आदि शामिल हैं।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

‘चैंपियन’ सेवा क्षेत्र हेतु योजना

2196. श्री एम. उदयकुमार:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने 5000 करोड़ रुपए पृथक रखे हैं जिन्हें सेवाओं के 12 चैंपियन क्षेत्रों पर व्यय किया जाएगा;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति देश के उद्योगों को अगले स्तर तक ले जाएगी; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी आर चौधरी)

(क): जी हां।

(ख): मंत्रिमंडल ने अभिज्ञात किये गये 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों को उनके विकास के संवर्धन और उनकी क्षमता पहचानने के लिए ध्यान देने हेतु वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इनमें शामिल हैं सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आईटी एवं आईटीईएस), पर्यटन एवं अतिथ्य सेवाएं, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, परिवहन एवं संभार तंत्र सेवाएं, लेखाकरण एवं वित्तीय सेवाएं, आडियो विजुअल सेवाएं, विधिक सेवाएं, संचार सेवाएं, निर्माण एवं संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं, पर्यावरणीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं तथा शिक्षा सेवाएं। उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित करते समय, मंत्रिमंडल ने चैंपियन सेवा क्षेत्र के लिए वित्त क्षेत्रीय पहलों में उपयोग करने हेतु 5000 करोड़ रु. की निर्धारित समर्पित निधि के सृजन का भी अनुमोदन किया।

(ग) एवं (घ): पणधारियों से परामर्श करने के बाद सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति तैयार करने का निर्णय लिया है जो देश में सभी व्यावसायिक उद्यमों हेतु एक रोडमैप होगी।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

एफआईईओ द्वारा दिए गए सुझाव

2147. श्री जी. हरि:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफआईईओ) ने सुझाव दिया है कि सरकार को चालू खाता घाटे की वृद्धि को रोकने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने की प्राथमिकता पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या आयात पर रोक लगाने से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या एफआईईओ ने सुझाव दिया है कि सरकार को चालू खाता घाटे में वृद्धि और रुपये के मूल्य में गिरावट का समाधान करने के लिए आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) से (ङ.): भारतीय निर्यात संगठन संघ (फिओ) ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ वार्ता में सुझाव दिया है कि चालू खाता के बढ़ते घाटे और रुपए में गिरावट का समाधान करने के लिए सरकार को आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। फियो ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि सरकार गैर-आव्ययक मदों पर रोक लगाना चाहती है तो उन्हें महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान, रेफ्रिजरेटर, घडो, सोना और महंगे फुटवेयर और परिधान जैसे उत्पादों पर विचार करना चाहिए। सरकार द्वारा फिओ/निर्यात संवर्धन परिषदों/अन्य हितधारकों से समय-समय पर प्राप्त सुझावों पर व्यापार नीति की समीक्षा की चल रही नियमित प्रक्रिया के एक भाग के रूप में विचार किया जाता है।

भारत के निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार घाटा कम करने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल, 2015 को लांच की गई नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20, दिनांक 5 दिसंबर, 2017 को जारी इसकी मध्यावधि समीक्षा तथा समय-समय पर किए गए अन्य नीतिगत उपायों के माध्यम से अनेक कदम उठाए हैं। मुख्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) विदेश व्यापार नीति 2015-20 'मेक इन इण्डिया', 'डिजिटल इण्डिया', 'स्किल इण्डिया', 'स्टार्ट अप इण्डिया' तथा 'व्यापार करने की सुगमता' की पहलों के अनुरूप देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के साथ-साथ रोजगार सृजित करने तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराती है।
- (ii) नीति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से विकसित हो रही संरचना के मद्देनजर भारत को बाह्य वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना तथा व्यापार को देश की आर्थिक संवृद्धि और विकास में प्रमुख भागीदार बनाना है।
- (iii) नीति निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा निर्यात उत्पादन हेतु निविष्टियों पर शुल्क की माफी/छूट संबंधी स्कीमों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु तंत्र उपलब्ध कराती है।
- (iv) नीति के तहत दो नई स्कीमों को प्रारंभ किया गया है नामतः बेहतर सामंजस्य के लिए पूर्व की पांच स्कीमों में विलय करके विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने हेतु भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) तथा अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत से सेवाओं के निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)। एमईआईएस और एसईआईएस के तहत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप तथा इन स्क्रिपों के आधार पर आयातित माल पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय है। एमईआईएस स्कीम में अब सभी देशों के लिए 8 अंक स्तर पर 8057 प्रशुल्क लाइनों को शामिल किया गया है।
- (v) नीति में विशिष्ट निर्यात दायित्व को 90 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत के सामान्य निर्यात दायित्व तक करते हुए ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत स्वदेशी विनिर्माताओं से पूंजीगत माल की खरीद को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं।
- (vi) नीति में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर निर्यात उत्पाद में वास्तविक रूप से शामिल निविष्टि के शुल्क मुक्त आयात को अनुमत करने के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र जारी करने का प्रावधान है।
- (vii) पूर्व एवं पश्च पोतलदान रुपये निर्यात क्रेडिट संबंधी ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 01.04.2015 से प्रारंभ किया गया है ताकि निर्यातकों को कम दरों पर क्रेडिट प्राप्त करने में सहायता मिल सके।
- (viii) 'निर्यात बंधु स्कीम' को और बेहतर और पुनर्निर्धारित किया गया है ताकि 'स्किल इण्डिया' तथा व्यापार संवर्धन/जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके।

- (ix) कागजरहित कार्य प्रणाली को अपनाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यापार सरलीकरण तथा व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं। सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल 2016 से एक एकल विन्डो इन्टरफेस (स्विफ्ट) मंजूरी परियोजना प्रारंभ किया है। स्कीम से आयातकों/निर्यातकों को भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रानिक वाणिज्य/इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे अर्थात् आइसगेट पोर्टल पर सामान्य इलेक्ट्रानिक 'एकीकृत घोषणा' फाइल करने में सहायता प्राप्त होती है। व्यापार सुगमीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत न अप्रैल 2016 में डब्ल्यूटीओ के व्यापार सरलीकरण समझौते (टीएफए) का भी अनुसमर्थन किया था।
- (x) देश में निर्यात अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने के लिए 1 अप्रैल 2017 से एक नई स्कीम नामतः "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम" (टीआईईएस) लांच की गई है।
- (xi) 5 दिसंबर 2017 को आरंभ विदेश व्यापार नीति 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा में निर्यात संवर्धन हेतु अधिक प्रोत्साहनों का प्रावधान है।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

चाय की गुणवत्ता में सुधार

2084. डॉ. के. गोपाल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय अनुसंधान एसोसिएशन (टीआरए) जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों का सामना करने के लिए अत्यंत पुराने उद्योग को सुसज्जित करते हुए चाय की गुणवत्ता में सुधार हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चाटोट और सेंसर आधारित मशीनरी पर आधारित अग्रणी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टी आर ए ने दो स्टार्ट-अप के साथ समझौता किया है जो कि इन पहलों पर आगे की दिशा तय करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी आर चौधरी)

(क) से (घ): जी हां। चाय अनुसंधान एसोसिएशन (टीआरए) एगनेक्सट टेक्नालाजी प्रा.लि. और एलेकोस टेक्नालाजी इंडिया प्रा.लि. के सहयोग से चाय गुणवत्ता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों के शमन के लिए नई प्रौद्योगिकियों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चाटोट और सेंसरों का उपयोग करने की योजना बना रहा है।

टीआरए ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चाटोट के उपयोग के जरिए पत्तियां गिनने की मशीन और स्प्रेयर मशीन के कार्य के लिए एगनेक्सट टेक्नालाजी प्रा.लि. के साथ समझौता किया है। इसके अलावा इसने डिजिटल प्लेटफार्म विकसित करने के लिए एलेकोस टेक्नालाजी इंडिया प्रा.लि. से समझौता किया है जिसका उद्देश्य मृदा नमी, योजनाबद्ध सिंचाई और उर्वरक उपयोग पर ध्यान देना है।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए
संभार तंत्र क्षेत्र

2082. श्री रामदास सी. तडसः

श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः

श्री विद्युत वरण महतोः

श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः

श्री नारणभाई काछड़ियाः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या संभार तंत्र क्षेत्र में निवेश के वर्ष 2025 तक 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार राष्ट्रीय संभार तंत्र नीति और बहु मॉडल संभार तंत्र नीति बनाने पर विचार कर रही है;
- (घ) यदि हां, तो प्राथमिकता के अंतर्गत उन विषयों का ब्यौरा क्या है जिस पर सरकार राष्ट्रीय संभार तंत्र नीति और बहु मॉडल संभार तंत्र बनाने जा रही है; और
- (ङ) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान विद्यमान वैश्विक पर्यावरण में आपूर्ति शृंखला और संभार तंत्र प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी आर चौधरी)

(क): सरकार की जानकारी में ऐसा कोई अध्ययन नहीं आया है जिसमें संभार तंत्र क्षेत्र में निवेश वर्ष 2025 तक 500 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने का सुझाव दिया गया हो ।

(ख): प्रश्न नहीं उठता ।

(ग,घ एवं ङ): संभार तंत्र दक्षता में सुधार करना एक निरन्तर और अनवरत प्रक्रिया है। सरकार नियमित रूप से समीक्षा करती है और कमियों को दूर करती है। राष्ट्रीय संभार तंत्र नीति एवं मल्टीमॉडल संभार तंत्र पार्क नीति अन्तर -रूपात्मकता (इंटर मॉडलिटी) को प्रोत्साहित करेगी और परिसम्पत्ति एवं लागत के इष्टतम उपयोग के माध्यम से वृहत दक्षता लाएगी।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

ब्रिक्स राष्ट्रों के साथ व्यापार

2075. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच व्यापार उनके कुल वैश्विक व्यापार का 5 प्रतिशत से भी कम है;
- (ख) यदि हां, तो भारत का वर्तमान में ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार का देश-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने व्यापार बढ़ाने के लिए विभिन्न ब्रिक्स देशों के साथ चर्चा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या चीन के साथ वार्ता में चावल के निर्यात और भेषज उत्पादों के लिए हरित चैनल बनाने संबंधी मुद्दों को उठाया गया है;
- (ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं; और
- (च) ब्रिक्स राष्ट्रों से यूके के बाहर निकलने के कारण व्यापार किस हद तक प्रभावित हुआ है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी आर चौधरी)

(क) से (ङ): जी नहीं, 2017 के यूएन कॉमट्रेड आंकड़ों के अनुसार, ब्रिक्स देशों के बीच होने वाले व्यापार की हिस्सेदारी ब्रिक्स देशों के वैश्विक व्यापार के 10% से ज्यादा है। 2017-18 के दौरान ब्रिक्स देशों के साथ भारत के व्यापार का ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है। सरकार स्थापित सांस्थानिक तंत्र जैसे संयुक्त आयोग बैठक (जेसीएम) और संयुक्त व्यापार समिति (जे टीसी) के जरिए ब्रिक्स देशों सहित अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए बाजार पहुंच के मुद्दे उठाती है। चीन के साथ द्विपक्षीय संयुक्त समिति समूह के जरिए भारतीय चावल और औषधि के निर्यात सहित बाजार पहुंच के मुद्दों को उठाया गया।

(च): यूनाइटेड किंगडम (यूके) ब्रिक्स समूह का हिस्सा नहीं है।

2017-18 में ब्रिक्स देशों के साथ भारत का व्यापार (अम.डॉ.मिलियन में)

देश	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार शेष
चीन	13,333.53	76,380.70	89,714.23	-63,047.16
रूस	2,113.39	8,573.46	10,686.85	-6,460.08
दक्षिण अफ्रीका	3,825.21	6,834.70	10,659.91	-3,009.49
ब्राजील	3,063.49	5,498.22	8,561.71	-2,434.73
ब्रिक्स कुल	22,335.62	97,287.08	1,19,622.70	-74,951.46

स्रोत-डीजीसीआईएस

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

आरसीईपी समझौता

2073. एडवोकेट जोएस जॉर्ज:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राज्य सरकारों ने सरकार के समक्ष क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते के संबंध में अनेक मुद्दे उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केरल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आरसीईपी के उद्देश्यों पर पुनर्विचार और इनकी समीक्षा करने का अनुरोध किया है ताकि विकसित देशों से होने वाली बाह्य प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने आरसीईपी पर हस्ताक्षर करने से पहले राज्य सरकारों के साथ कोई चर्चा की है या करने की योजना है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी आर चौधरी)

(क) से (च): क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) वार्ताओं में भारत की स्थिति रखने के लिए इनपुट लेने हेतु सरकार उद्योग, निर्यातकों, व्यापार विशेषज्ञों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से स्टेकहोल्डर परामर्श आयोजित करती है। केरल राज्य सरकार से भी परामर्श किया गया जिसने विशेष इनपुट उपलब्ध कराया है जिसे वार्ताओं के समय ध्यान में रखा गया ।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

सब्जियों का निर्यात

2072. डॉ. उदित राज:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यूरोपीय आयोग द्वारा जनवरी 2017 से करेला, चिचिंडा, बैंगन और अरबी के पत्तों पर से अस्थाई प्रतिबंध वापस लेने के दो वर्षों के बाद भी उपरोक्त सब्जियों का भारत से यूरोपियन यूनियन को निर्यात संभव नहीं हो पाया है और इन सब्जियों की भारी मांग के बावजूद भी व्यापार की संभावनाओं का पूरा दोहन नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 2014 तक भारी मात्रा में पत्तेदार सब्जियों और पान के पत्तों का निर्यात किया गया परंतु निर्यातकों के आयात-निर्यात संहिता के निलंबन के भय के कारण इनका निर्यात रुका हुआ है यद्यपि इस पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया और पान के पत्तों के किसानों को, विशेषतः उत्तर-पूर्व के जनजातीय किसानों को, अपने उत्पाद की बेहतर कीमतों से वंचित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एपीईडीए परिवहन सहायता और बीमा लाभ घटक ईसीजीसी के अंतर्गत कृषि निर्यातकों को कृषि उत्पादों की फ्री ऑन बोर्ड कीमतों पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि देता था; और

(च) यदि हां, तो यह सब पुनः चालू करने के लिए मार्ग निकालने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी आर चौधरी)

(क) और (ख): यूरोपीय संघ ने वर्ष 2014 के दौरान चार सब्जियों नामतः करेला, बैंगन, चिचिंडा, और अरबी के पत्तों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध को जनवरी 2017 में हटा दिया गया। यूरोपीय संघ को ताजी सब्जियां निर्यात की जा रही हैं। तथापि यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंधित की गई चार सब्जियों के निर्यात संबंधी आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यह सब्जियां मिश्रित खेप में निर्यात की जा रही हैं। वर्तमान में इन उत्पाद पर यूरोपीय संघ का कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) और (घ): यूरोपीय संघ को पत्तेदार सब्जियों और पान के पत्तों का निर्यात करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इनका निर्यात हो रहा है। पत्तेदार सब्जियों और पान के पत्तों सहित कृषि उत्पादों के निर्यातकों को आयातक देशों, इस मामले में यूरोपीय संघ, के गुणवत्ता एवं पादप स्वच्छता मानकों को पूरा करना होता है।

(ङ) और (च): एपीईडीए की 12वीं योजना निर्यात संवर्धन स्कीम में एक घटक परिवहन सहायता है जिसमें कुछ बाजारों को नाशवान उत्पादों के परिवहन की उच्च माल भाड़ा लागत को कम करने के लिए एफओबी लागत के 10% तक की सहायता दी गई। 1 अक्टूबर 2016 से इस घटक का समापन कर दिया गया।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा प्रदान करना

2219. श्री अभिजित मुखर्जी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ने वस्तु-व्यापार में किन-किन राष्ट्रों को 'सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र' (एमएफएन) का दर्जा प्रदान किया है; और

(ख) एमएफएन का दर्जा प्रदान किए गए इन राष्ट्रों को भारत द्वारा प्रदत्त लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी आर चौधरी)

(क) एवं (ख): टैरिफ एवं व्यापार पर सामान्य करार (जीएटीटी) 1994 का अनुच्छेद 1 सुनिश्चित करता है कि सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा प्रत्येक देश द्वारा डब्ल्यूटीओ के सभी 164 सदस्य देशों को समान रूप से प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद में प्रावधान है कि सदस्यगण अपने व्यापारिक भागीदार के साथ सीमा शुल्क, अन्य प्रभारों तथा पण्य वस्तुओं के आयात /निर्यात के संबंध में उसे उद्ग्रहीत करने के तरीकों के संदर्भ में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इस सिद्धान्त के अनुसरण में, भारत ने डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों को एमएफएन का दर्जा प्रदान किया है।

दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

चीन के साथ व्यापार

2291. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से लेकर अब तक चीन के साथ व्यापार घाटे का वार्षिक ब्यौरा क्या है और इन कदमों के कार्यान्वयन के पश्चात, अनुमानित घाटे और व्यापार घाटे को कम करने के लिए उठाए गए कदमों/हस्ताक्षर किए गए व्यापार समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत चीन को 2 मिलियन टन चीनी निर्यात करने का इरादा रखता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन ने इस वर्ष हेतु अपना आयात कोटा पहले ही पूरा कर लिया है और यदि हां, तो सरकार किस प्रकार अपने निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार रखती है;

(घ) वर्ष 2014 से लेकर अब तक ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से चीन से भारत में आयात किए गए सामान का ब्यौरा क्या है और चीन से भारत आने वाले उन उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उत्पाद शुल्क से छूट दी जा रही है;

(ङ) क्या मै. 'चाइना पोस्ट' भारत को भेजे उत्पादों पर राजसहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो इससे विरोध जताने/निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हो; और

(च) दर्ज किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें चीनी ई-कॉमर्स साइटों में विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग करके पश्चिमी एशिया के अप्रवासी भारतीयों की नकली पहचान बनाकर भारत को 5,000 रु. से कम मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया है और तत्पश्चात् की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी. आर. चौधरी)

(क): वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 (अप्रैल से अक्टूबर, 2018 तक) के दौरान भारत और चीन के बीच आयात और निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

अवधि	मूल्य बिलियन अम.डा में		
	निर्यात	आयात	व्यापार घाटा
2014-15	11.96	60.41	-48.45
2015-16	9.01	61.71	-52.69
2016-17	10.17	61.28	-51.11
2017-18	13.33	76.38	-63.05
अप्रैल-अक्टूबर'18*	9.31	42.58	-33.28

*2018-19 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

भारत सरकार चीन को भारतीय निर्यात की व्यापार संबंधी बाधाओं को कम करके व्यापार में घाटे के अंतर को पूरा करने हेतु निरंतर और सतत् उपाय कर रही है। दिनांक 26 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में आर्थिक संबंधों से संबद्ध भारत-चीन संयुक्त समूह (जेईजी) के 11वें सत्र के दौरान, दोनों देशों के व्यापार मंत्रियों ने संतुलित और अधिक दीर्घकालिक तरीके से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इस संबंध में विभिन्न भारतीय कृषि उत्पादों, पशु आहार, तिलहन, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों, फार्मास्यूटिकल उत्पादों आदि की चीन के बाजार की संभावना के मद्देनजर बाजार पहुँच के लिए किए जा रहे प्रयासों के रूप में चीन समकक्षों के साथ अनेक बैठके आयोजित की गई हैं। इसके अलावा भारत से चीन को भारतीय चावल, रेपसीड भोजन और फिशमील-मछली के तेल के निर्यात की सुविधा हेतु प्रोटोकाल भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) और (ग) : चीन आमतौर पर अपने आयातकों द्वारा वर्ष के दौरान दो खेपों में 4-5 मिलियन मि.ट चीनी का आयात करता है तथा आयात के लिए लाइसेंस जारी करता है। जुलाई 2018 में जारी किए गए लाइसेंसों को पहले ही समाप्त कर लिया गया है और चीन द्वारा वर्ष 2019 के आयात के लिए नया कोटा भारतीय चीनी निर्यातकों को अपनी भावी योजना बनाने में सक्षम बनाएगा।

(घ) से (च): राजस्व विभाग ऐसे इनपुटों के लेन देन के तरीके पर ध्यान दिए बिना सीमा पार करने वाले माल पर सीमा पर जांच और प्रयोज्य शुल्क का अधिदेश देता है। देश में आयात किए जाने वाले सभी माल को सीमा शुल्क के माध्यम के चैनलीकृत किया जाना होता है। भारत में सुपुदुर्गों के लिए चीन की चौकी द्वारा दी जा रही किसी विशेष सब्सिडी के संबंध में कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

डीजीएफटी ने एफटी (डी एंड आर) अधिनियम के दुरुपयोग के लिए चीन के ई-कामर्स साइटों के विरुद्ध कोई केस रिपोर्ट नहीं किया है।

दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए
मुक्त व्यापार समझौते

2284. श्री एल.आर. शिवराम गौड़ा:

श्री तेज प्रताप सिंह यादव:

श्रीमती अंजू बाला:

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बढे हुए सहयोग और निवेश और व्यापार को बढावा देने हेतु आसियान क्षेत्र सहित अन्य देशों के साथ नवीन विदेश व्यापार समझौतों (एफटीए) करने या मौजूदा विदेश व्यापार समझौतों (एफटीए) की समीक्षा करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या भारत ने गत तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों के साथ विदेश व्यापार समझौते किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या विदेश व्यापार समझौतों के अंतर्गत करों में छूट प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा जिन देशों के साथ विदेश व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनके साथ कोई आयात या निर्यात किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

और (ङ) क्या सरकार भारत के द्वारा पुष्टि किए गए अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक कानून संशोधित करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) से (ङ.) : जी, हां । लगभग 22 मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वाणिज्य विभाग द्वारा समीक्षा या वार्ता के विभिन्न चरणों में हैं । विवरण अनुबंध - 1 में संकलित है । भारत ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) नहीं किया है । सरकार विशिष्ट अधिसूचनाओं के जरिये मुक्त व्यापार समझौतों को कार्यान्वित करती है जिनका अनुपालन सभी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

वार्ताधीन समीक्षा एफटीए/पीटीए

क्र.सं.	समझौते का नाम	स्थिति
1	भारत यूरोपीय संघ -बी टी आई ए (ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम)	वस्तु, सेवा, निवेश, स्वच्छता एवं पादप - स्वच्छता उपायों, व्यापार संबंधी तकनीकी बाधाओं, व्यापार सुगमीकरण एवं सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा, आईपीआर तथा जीआई आदि क्षेत्रों में दिनांक 28 जून 2007 को वार्ताएं आरंभ की गईं। अब तक वार्ताओं के सोलह दौर और अनेक अंतर-सत्र एवं मुख्य वार्ताकार स्तरीय बैठकें आयोजित की गई हैं। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा ईयू के व्यापार आयुक्त के बीच एक मंत्री-स्तरीय समीक्षा बैठक ब्रूसेल्स में दिनांक 15 अप्रैल 2013 को आयोजित की गई थी। कुछ समय की शांति के बाद मुख्य वार्ताकार स्तर पर पर्यवलोकन बैठकों के जरिये वार्ता को पुनःजीवित करने के लिए 2016 में कई प्रयास किए गए। 9 वीं बैठक 15 नवंबर 2018 को ब्रसेल्स में आयोजित हुई है।
2	भारत - श्रीलंका व्यापक आर्थिक सझेदारी करार	श्रीलंका के साथ प्रस्तावित समझौते के मूल पाठ पर वार्ता चल रही है। अभी तक 11 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। ईटीसीए के 11 वें दौर की वार्ता कोलंबो में 3-5 अक्टूबर, 2018 में आयोजित की गई थी।
3	भारत - थाईलैंड व्यापक आर्थिक सहयोग करार	83 मदों के संबंध में शीघ्र फलदायी स्कीम कार्यान्वित की गई। भारत थाईलैंड व्यापार वार्ता समिति की बैठकों के (आईटीटीएनसी) 30 दौर आयोजित किए जा चुके हैं। 30 वां दौर 13-14 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
4	भारत - मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदार करार (सीईसीपीए)	भारत मॉरीशस सीईपीए वार्ता, जो 65 बस्ते में थी, मार्च 2016 में, माननीय प्रधानमंत्री की मॉरीशस यात्रा के दौरान फिर भी आरंभ की गई। वार्ता शुरू होने के बाद भारत - मॉरीशस सीईसीपीए के सात दौरे की वार्ता हो चुकी है और सातवें दौर की वार्ता 19-23 नवंबर, 2018 में मॉरीशस में आयोजित की गई। वार्ता में प्रशुल्क तौर तरीकों, उद्भव के नियमों, सेवाओं, सामान्य आर्थिक सहयोग पर चर्चा की गई।
5	भारत इएफटीए टीईपीए (आइसलैंड, नार्वे, लिचटेंस्टीन और स्विट्जरलैंड)	भारत इएफटीए टीईपीए (व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी करार) जनवरी 2008 में शुरू किया गया था (उस समय इसे बीटीआईए के नाम से जाना जाता था)। पहला दौर 6-8 अक्टूबर 2008 को

		नई दिल्ली में आयोजित किया गया था । शामिल किए गए अध्ययनों में वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, निवेश, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय, (एसपीएस), व्यापार संबंधी तकनीकी बाधाएं, (टीबीटी) व्यापार सुगमीकरण एवं सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), सरकारी खरीद (जीपी), विवाद निपटान (डीएस), व्यापार सुरक्षा (टीडी), उद्गम संबंधी नियमावली (आरओओ), सततधारणीय विकास (एसडी) तथा विधिक एवं क्षैतिज आदि मुद्दे शामिल हैं । अभी तक वार्ताओं के 17 दौर आयोजित किए जा चुके हैं और अंतिम दौर 18-21 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ।
6	भारत - न्यूजीलैंड एफटीए/सीईसीए	सीईसीए की वार्ता के अब तक 10 दौर आयोजित किए जा चुके हैं । 10 वां दौर 17-18 फरवरी, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ।
7	भारत - इजराइल मुक्त व्यापार करार	अब तक भारत - इजराइल मुक्त व्यापार करार पर वार्ता का आठ दौर आयोजित किये जा चुके हैं । वार्ता का नौवा दौर 19 - 20 फरवरी , 2018 को जेरूसलम, इजरायल में आयोजित किया गया था ।
8	भारत -सिंगापुर सीईसीए (तीसरी समीक्षा)	भारत-सिंगापुर सीईसीए की दूसरी समीक्षा 01.06.2018 को संपन्न हुई थी । दूसरी समीक्षा के तत्वों में उद्भव के नियमों में सुधार, उत्पाद विशिष्ट नियम एवं कुछ वस्तुओं पर प्रशुल्क समाप्ति शामिल थे । तीसरी समीक्षा दिनांक 01.09.2018 को शुरू हुई ।
9	भारत - एसएसीयू पीटीए (दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोथो, स्वाजीलैंड और नामीबिया)	अब तक वार्ताओं के पांच दौर आयोजित किये गये हैं । वार्ताओं पांचवा दौर अक्टूबर 2010 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ।

10	भारत - मर्कोसुर पीटीए (अर्जेंटीना, ब्राजील, परागुए और उरूग्वे)	वर्तमान में भारत मर्कोसुर पीटीए विस्तारित किया जा रहा है । संयुक्त प्रशासनिक समिति की तीसरी बैठक 29 सितंबर, 2016 को ब्रासिलिया में आयोजित की गई । दोनों पक्षों ने 14.09.2017 को अपने आरंभिक ऑफर का आदान प्रदान किया है ।
11	बिम्सटेक सीईसीए (बंगलादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल)	व्यापार वार्ताकारी समिति (टीएनसी)की 21 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं । बिम्सटेक व्यापार वार्ताकारी समिति (टीएनसी) की 21 वीं बैठक 18 -19 नवंबर, 2018 को ढांका, बांग्लादेश में आयोजित की गई थी ।

12	भारत - खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) कार्यवाही करार (सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, बाहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात)	अब तक वार्ताओं के दो दौर 2006 और 2008 में आयोजित किये गये हैं । दूसरा दौर 09 -10 सितम्बर, 2008 में आयोजित किया था । तब से जीसीसी ने अपनी वार्ताओं को टाल दिया है और वर्तमान में सभी देशों और आर्थिक समूहों के साथ अपनी वार्ताओं की समीक्षा कर रहा है ।
13	भारत - कनाडा मुक्त व्यापार करार	अब तक भारत कनाडा सीईपीए वार्ता के 10 दौर आयोजित किये जा चुके हैं । 10 वां दौर अगस्त, 2017 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ।
14	भारत - इंडोनिशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए)	आरसीईपी वार्ताओं के कारण वार्ता स्थागित कर दी गई है ।
15	भारत - ऑस्ट्रेलिया	अब तक वार्ता के 9 दौर आयोजित किए जा चुके हैं। वार्ता का 9वां दौर 21-23 सितंबर 2015 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था ।
16	भारत - मलेशिया सीईसीए (पहली समीक्षा)	भारत - मलेशिया सीईसीए के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए भारत - मलेशिया संयुक्त समिति की पहली बैठक 8 दिसंबर, 2014 को आयोजित की गई थी ।
17	आसियान + 6 एफटीए भागीदार (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड) के बीच क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदार (आरसीईपी) करार	नवंबर, 2012 में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं की घोषणा के आधार पर, आसियान के 10 सदस्य देशों और उसके 6 एफटीए साझेदारों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी के लिए वार्ता मई, 2013 में शुरू की गई। आरसीईपी टीएनसी का 24 वां दौर और संबंधित बैठकें 18-27 अक्टूबर, 2018 को ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में आयोजित की गई । छह आरसीईपी मंत्री - स्तरीय बैठक 30 - 31 अगस्त, 2018 को सिंगापुर में आयोजित की गई । दो आरसीईपी नेता सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है जिसमें दूसरा सम्मेलन 14 नवंबर , 2018 को सिंगापुर में आयोजित किया गया था । इन वार्ताओं में वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, प्रतिस्पर्धा, तथा विधिक एवं संस्थागत मुद्दे शामिल हैं ।
18	भारत - आसियान वस्तु व्यापार करार (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) (पहली समीक्षा)	भारत - आसियान व्यापार करार (एआईटीआईजीए) की समीक्षा आरंभ करने का फैसला 12 वीं एलएम - भारत परामर्शों के दौरान अगस्त 2015 में कुआलालम्पुर में किया गया था एआईटीआईजीई की 34 वीं एआईटीएनसी बैठक 6 अप्रैल, 2016 को कुआलालाम्पुर में आयोजित की गई जिसमें भारत ने 12वें एईएम - भारत परामर्शों में निर्गत समीक्षा के दायरे का तर्ज पर कार्य समूहों का गठन करने का सुझाव दिया है ।

		तब से भारत नियमित रूप से एआईटीआईजीए की समीक्षा आरंभ करने के लिए आसियान से आग्रह कर रहा है ।
19	भारत कोरिया - सीईपीए समीक्षा	भारत - कोरिया सीईपीए के उन्नयन के लिए सात दौर की वार्ता हो चुकी है, सातवें दौर 11 -12 दिसंबर, 2018 की सियोल का आयोजित किया गया था ।
20	भारत - ईरान पीटीए	अभी तक, दो बैठकें हुई हैं । अंतिम बैठक 01 -02 सितम्बर, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी ।
21	भारत - पेरू व्यापार समझौता	तीसरे दौर की वार्ता 4 -7 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी ।
22	भारत - ईएईयू तकनीकी परामर्श	तकनीकी परामर्शों का पहला दौर 30 -31 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ।

दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए
कृषि निर्यात नीति

2276. श्री भरत सिंह:

श्री अजय मिश्रा टेनी:

श्री सी. गोपालकृष्णन:

श्रीमती रक्षाताई खाडसे:

श्री गौरव गोगोई:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में कृषि वस्तुओं हेतु नई निर्यात नीति का प्रस्ताव किया हो या उसे स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हो तथा उक्त नीति की घोषणा में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि अन्य देशों को कृषि उत्पादों के निर्यात से पूर्व देश उक्त उत्पादों के लिए आत्मनिर्भर बने; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) देश से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना एक सतत प्रक्रिया है। वाणिज्य विभाग में कृषि उत्पादों के निर्यातों सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं हैं नामतः निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईस), बाजार पहुँच पहल (एमएआई) स्कीम, भारत पण्य वस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस)। इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादों के निर्यातकों को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तम्बाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, एवं मसाला बोर्ड की निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी करके, विभिन्न बाजारों में विभिन्न उत्पादों के लिए बाजार पहुँच हासिल करने की पहल करके, बाजार आसूचना प्रसार, निर्यातित उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करके निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं।

(ख) एवं (ग) जी, हां। कृषि निर्यात नीति कैबिनेट द्वारा 6 दिसंबर, 2018 को मंजूर की गई है। कृषि निर्यात नीति में निम्नलिखित विजन है :

‘ उपयुक्त नीति साधनों के जरिये भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का दोहन जिससे कि भारत को कृषि में एक वैश्विक महाशक्ति बनाया जा सके एवं किसानों की आय बढ़ाई जा सके । ’

कृषि निर्यात नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- (i) हमारे कृषि बास्केट, गंतव्यों का विविधीकरण करना और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं पर फोकस सहित उच्च मूल्य तथा मूल्य वर्द्धित कृषि निर्यातों को बढ़ावा देना ।
- (ii) नवीन, स्वेदेशी, जैविक, नृजातीय, पारंपरिक एवं गैर - पारंपरिक कृषि उत्पाद निर्यातों को बढ़ावा देना ।
- (iii) बाजार पहुँच को आगे बढ़ाने, बाधाओं से निपटने एवं स्वच्छता तथा पादप - स्वच्छता मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराना
- (iv) वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ समेकन करके विश्व कृषि उत्पादों में भारत का हिस्सा दोगुना करने का प्रयास करना ।
- (v) विदेशी बाजारों में निर्यात अवसरों का लाभ उठाने में किसानों को सक्षम बनाना ।

कृषि निर्यात नीति में परिकल्पित पहलों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है - कार्यनीतिक एवं संचालनगत - उनका विवरण नीचे दिया गया है :

कार्यनीतिक	नीतिगत उपाय
	अवसंरचना एवं संभार तंत्र सहायता
	निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए समग्र दृष्टिकोण
	कृषि निर्यातों में राज्य सरकारों की वृहद भागीदारी

संचालनगत	क्लस्टरों पर फोकस करना
	मूल्य वर्द्धित निर्यातों को बढ़ावा देना
	‘ ब्रांड इंडिया ’ का विपणन एवं संवर्धन
	उत्पादन एवं प्रसंस्करण में निजी निवेशों को आकर्षित करना
	मजबूत गुणवत्ता तंत्र की स्थापना
	अनुसंधान एवं विकास
	विविध

(घ एवं ड.) : कृषि निर्यात नीति का लक्ष्य कृषि निर्यातों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक स्थिर नीति व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा देश की खाद्य सुरक्षा के लिए अनिवार्य वस्तुओं की पहचान करना है । अत्यधिक कीमत स्थितियों के तहत, एक उच्च स्तरीय समिति डब्ल्यूटीओ संगत तरीके से इन चिन्हित कृषि वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध लगाने का फैसला करेगी ।

दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारत और चीन के बीच व्यापार

2275. श्री धनंजय महाडीक:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

श्री राजीव सातव:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

डॉ. जे. जयवर्धन:

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

श्री पी.आर. सुन्दरम:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत और चीन के बीच आयात और निर्यात का उत्पाद-वार/मूल्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कई बैठकों के पश्चात् चीन भारत से कच्ची चीनी का आयात करने के लिए सहमत हो गया है और यदि हां, तो चीन को निर्यात की जाने वाली कच्ची चीनी का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लगभग कितनी विदेशी मुद्रा की कमाई हुई है; और

(ङ) व्यापार घाटे को कम करने के लिए चीन में भारतीय वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी. आर. चौधरी)

(क): विगत तीन वर्षों और वर्ष 2018-19 (अक्टूबर 2018 तक) के लिए कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं सहित चीन से भारत में आयात और निर्यात की शीर्ष 50 प्रमुख पण्यवस्तु का समूह - वार विवरण **अनुबंध - I** एवं **अनुबंध - II** के रूप में संलग्न है।

(ख): विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में चीन के साथ व्यापार एवं व्यापार घाटे का विवरण नीचे दिया गया है:-

अवधि	मूल्य बिलियन अम.डॉ में		
	निर्यात	आयात	व्यापार घाटा
2015-16	9.01	61.71	-52.69
2016-17	10.17	61.28	-51.11
2017-18	13.33	76.38	-63.05
अप्रैल-अक्टूबर'17 *	6.69	43.46	-36.77
अप्रैल-अक्टूबर'18 *	9.31	42.58	-33.28

* वर्ष 2018-19 के लिए आँकड़े अनंतिम हैं

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2015-16 में 52.69 बिलियन अम.डॉ. से घटकर वर्ष 2016-17 में 51.11 बिलियन अम.डॉ. हो गया, परन्तु वर्ष 2017-18 में बढ़कर 63.05 बिलियन अम.डॉ. हो गया। वर्तमान वर्ष 2018-19 में अप्रैल से अक्टूबर 2018 तक, चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा अप्रैल से अक्टूबर 2017 की समान अवधि में हुए लगभग 36.77 बिलियन अम.डॉ. की तुलना में 33.28 बिलियन अम.डॉ. के बराबर है (डीजीसीआईएस के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार) ।

चीन के साथ बढ़ते हुए व्यापार घाटे में मुख्य रूप से यह तथ्य जिम्मेवार है कि भारत में चीन का निर्यात टेलिकॉम और ऊर्जा जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों की माँग को पूरा करने हेतु विनिर्मित मर्दों पर अत्यधिक निर्भर करता है , जबकि चीन को भारत के निर्यात में प्राथमिक एवं मध्यवर्ती उत्पादों शामिल हैं। चीन से प्रमुख आयात टेलिकॉम उपकरण, कम्प्यूटर हार्डवेयर और पेरिफेरल्स, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक घटक/ उपकरण, परियोजना की वस्तुएँ, कार्बनिक रसायन और ड्रग मध्यवर्ती, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण, लोहा एवं इस्पात आदि जैसे उत्पाद हैं। ये आयात भारत में ऐसी वस्तुओं के लिए बढ़ती हुई माँग को पूरा करते हैं जो चीन विविध कारणों की वजह से, प्रतिस्पर्धी दरों पर भारत को निर्यात करने में समर्थ है। दूसरी तरफ चीन को भारत से निर्यातों में लौह अयस्क, कपास कच्चा/ धागा, पेट्रोलियम उत्पाद, तांबा और उसकी बनी हुई वस्तुएँ, कार्बनिक रसायन, लौह एवं इस्पात, अरण्डी का तेल, प्लास्टिक की कच्ची सामग्री, मोती, कीमती अथवा अर्द्धकीमती पत्थर, समुद्री उत्पाद आदि शामिल हैं।

(ग) : हमारे चीनी निर्यातकों द्वारा चीन के चीनी आयातकों के साथ बैठके आयोजित की गयी है और चीन की एजेन्सियों द्वारा भारतीय चीनी के आयात पर आम सहमति है। वर्ष 2018 के लिए चीनी हेतु चीन का आयात कोटा समाप्त हो गया तथा चीन द्वारा वर्ष 2019 के लिए नये कोटा की उद्घोषणा पर भारत से वास्तविक निर्यात आरंभ हो सकते हैं।

(घ) सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग, आरबीआई के पास विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अर्जित की गई विदेशी मुद्रा की अनुमानित मात्रा पर अपेक्षित सूचना नहीं है।

(ड.): भारत सरकार चीन को भारतीय निर्यात की व्यापार संबंधी बाधाओं को कम करके व्यापार घाटे के अंतर को पूरा करने हेतु निरंतर और सतत् उपाय कर रही है। दिनांक 26 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में आर्थिक संबंधों से संबद्ध भारत-चीन संयुक्त समूह (जेईजी) के 11वें सत्र के दौरान, दोनों देशों के व्यापार मंत्रियों ने संतुलित और अधिक दीर्घकालिक तरीके से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इस संबंध में विभिन्न भारतीय कृषि उत्पादों, पशु आहार, तिलहन, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों, फार्मास्यूटिकल उत्पादों आदि की चीन के बाजार में संभावना के मद्देनजर बाजार पहुँच के लिए किए जा रहे प्रयासों के रूप में चीन समकक्षों के साथ अनेक बैठके आयोजित की गई है। भारत से चीन को भारतीय चावल, रेपसीड भोजन और फिशमील-मछली के तेल के निर्यात की सुविधा हेतु विभिन्न प्रोटोकाल भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत सरकार ने चीनी, आयल मिक्स, भारतीय चावल और चाय के निर्यात में वृद्धि करने हेतु चीन के संभावित आयातकों और भारतीय निर्यातकों के बीच क्रेता विक्रेता बैठके आयोजित करने के माध्यम से निर्यातकों को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न उपाय भी किए हैं। इसके अलावा भारतीय निर्यातकों को चीन में भारतीय उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए प्रमुख व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

चीन के शीर्ष 50 (2017-18 के आंकड़ों पर आधारित) प्रमुख पण्यवस्तु वार आयात

प्रमुख पण्यवस्तु	2015-16	2016-17	2017-18	अप्रैल-अक्टूबर 2017	अप्रैल-अक्टूबर 2018*
	मूल्य बिलियन अम.डॉ. में	मूल्य बिलियन अम.डॉ. में	मूल्य बिलियन अम.डॉ. में	मूल्य बिलियन अम.डॉ. में	मूल्य बिलियन अम.डॉ. में
दूरसंचार उपकरण	10093.36	11307.83	15594.19	9014.32	5171.09
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक	3514.48	4440.91	5496.19	3020.90	3252.76
कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफेरल्स	4413.69	4071.73	5026.08	2879.08	2537.43
डेयरी आदि के लिए मशीनरी सहित	2866.60	2839.89	3418.77	1934.19	2143.36
जैविक रसायन	2416.74	2187.94	2931.53	1578.05	2175.76
इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	1926.26	2134.42	2531.12	1505.12	1410.48
विद्युत तंत्र और उपकरण	2170.23	2036.72	2463.32	1344.04	1542.57
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	2204.17	2151.60	2362.31	1501.28	1382.56
अवशिष्ट रसायन और और संबद्ध उत्पाद	1458.94	1636.77	2168.78	1181.00	1535.75
बल्क ड्रग्स, ड्रग इंटरमीडिएट	2120.15	1826.34	2055.94	1143.89	1504.47
एसी, रेफ्रिजेशन मशीनरी आदि	1045.79	1249.52	1638.61	772.21	936.31
लोहा और इस्पात	2359.26	1346.71	1621.05	1096.58	829.67
लोह और इस्पात के उत्पाद	1181.85	1229.86	1469.68	829.48	1012.71
जहाज, नाव और तैरनेवाली संरचना	1264.90	1454.44	1208.98	350.60	66.30
प्लास्टिक कचड़ी सामग्री	823.53	897.57	1178.04	681.53	762.80
ऑटो घटक / कलपुर्ज	898.78	868.58	1164.41	627.71	746.42
विनिर्मित उर्वरक	3261.92	1244.16	1065.35	836.33	1089.74
अन्य विविध इंजीनियरिंग मदे	751.06	902.05	1064.11	612.50	592.46
सहायक उपकरण और बैटरी	510.49	608.78	947.88	527.00	608.94
मानवनिर्मित धागे, कपड़े, मेडअप्स	853.93	798.59	938.28	540.32	605.77
एल्यूमीनियम, अल्युमीनियम के उत्पाद	717.59	696.90	794.39	444.55	711.88
मशीन टूल्स	431.70	544.89	748.19	386.02	481.87
कृषि रसायन	332.65	506.10	726.69	430.71	464.83
प्लास्टिक मदे	477.81	516.24	684.11	403.70	367.44
क्रेन, लिफ्ट और विचेस	410.30	692.05	671.90	444.13	415.26
अन्य वस्त्र के धागे कपड़े मेडअप	487.19	432.17	670.85	387.37	357.01
कोयला, कोक और ब्रिकेट्स आदि	364.40	402.79	642.52	367.03	491.80
परियोजना वस्तुएं	994.11	763.00	609.54	374.93	331.97
ग्लास और ग्लासवेयर	406.91	478.34	607.66	359.79	409.45
मोल्डेड और एक्सट्रूडेड वस्तुएं	484.41	537.77	607.32	343.70	327.59
पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद	362.11	434.50	602.47	369.39	310.84
अन्य गैर-लोह धातु और उत्पाद	399.31	445.35	587.21	331.35	352.62
अन्य निर्माण मशीनरी	352.71	416.10	580.49	299.82	419.40
हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीनों को छोड़कर)	412.54	401.23	555.35	233.62	261.14
अकार्बनिक रसायन	502.39	428.99	531.33	287.37	469.14
चिकित्सा और वैज्ञानिक उपकरण	342.62	388.01	510.51	274.66	295.01
सिरेमिक और संबद्ध उत्पाद	576.54	379.57	476.25	272.21	262.72
प्लास्टिक शीट, फिल्म, प्लेट आदि	294.29	318.72	476.02	251.67	466.45
अन्य विविध रसायन	393.44	338.58	420.87	232.64	340.56
आईसी इंजन और कलपुर्ज	176.18	265.22	397.18	232.27	203.15
पेंट, वार्निश और संबंधित उत्पाद	227.37	245.61	360.04	197.33	226.05
चांदी	384.51	440.69	326.31	238.10	241.38
प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद	272.54	254.95	324.45	195.53	160.29
पेट्रोलियम उत्पाद	243.08	213.11	313.84	169.66	168.15
ऑप्टिकल आइटम (लेंस आदि सहित)	135.20	137.69	296.79	219.37	161.34
एटीएम इंजेक्टिंग मोल्डिंग मशीनरी आदि	215.05	240.20	292.90	170.14	170.66

हाथ के औजार, धातुओं को काटने का औजार	213.76	182.63	266.76	143.40	176.05
रबड़ / कैनवस आदि के जूते।	147.14	167.84	256.03	148.03	123.28
तांबा और तांबा के बने उत्पाद	185.58	197.24	245.60	142.39	144.25
सभी प्रकार के पंप	147.66	159.71	238.74	142.13	146.82
कुल शीर्ष 50	57227.20	56860.62	71166.90	40469.14	39365.77
कुल योग	61707.95346	61283.03478	76380.69685	43455.90305	42584.73

*वर्ष 2018-19 के लिए आँकड़े अंतिम हैं।

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

चीन को शीर्ष 50 (2017-18 के आंकड़ों पर आधारित) प्रमुख पण्यवस्तु वार निर्यात

प्रमुख पण्यवस्तु	2015-16	2016-17	2017-18	अप्रैल-अक्टूबर 2017	अप्रैल-अक्टूबर 2018 *
	मूल्य बिलियन अम.डॉ. में	मूल्य बिलियन अम.डॉ. में	मूल्य बिलियन अम.डॉ. में	मूल्य बिलियन अम.डॉ. में	मूल्य बिलियन अम.डॉ. में
जैविक रसायन	472.34	452.81	1559.63	723.20	1434.61
तांबा एवं तांबा निर्मित उत्पाद	1144.35	702.00	1548.51	784.25	97.22
पेट्रोलियम उत्पाद	636.11	789.43	1507.00	589.14	1893.35
लौह अयस्क	155.28	1449.60	1091.23	528.30	457.92
सूती धागा	1474.51	1045.65	858.84	409.33	808.96
प्लास्टिक की कच्ची सामग्री	261.13	244.68	494.87	167.67	532.73
ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	408.59	411.59	461.60	267.65	254.67
अरंडी का तेल	276.65	264.93	424.30	260.44	208.49
लौह एवं इस्पात	145.60	344.84	324.12	182.94	139.28
मसाले	171.47	193.24	314.69	188.95	191.72
जस्ता और जस्ता निर्मित उत्पाद	20.06	46.53	288.40	153.13	40.85
विद्युत तंत्र और उपकरण	96.65	111.23	250.67	98.07	198.28
मोती, कीमती, अर्द्धकीमती पत्थर	107.64	140.66	218.65	133.79	147.46
इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	151.60	231.08	211.08	122.53	151.29
अवशिष्ट रसायन और संबद्ध उत्पाद	146.21	206.99	209.27	109.48	135.21
थोक खनिज और अयस्क	347.60	197.60	207.86	124.37	128.34
दूरसंचार उपकरण	57.75	82.80	166.19	102.05	83.52
समुद्री उत्पाद	149.71	137.46	164.07	74.49	288.81
मानव बाल, उससे निर्मित उत्पाद	159.74	173.93	157.34	86.36	69.24
थोक ड्रग्स, ड्रग इंटरमीडिएट	113.08	103.85	154.01	88.55	88.05
आईसी इंजन और कलपुर्जे	94.50	154.41	141.59	87.81	90.93
डेयरी आदि के लिए मशीनरी सहित	106.08	100.19	139.87	70.50	95.98
अवशिष्ट सहित कच्चे कपास	196.19	281.84	132.97	28.41	144.03
रंजक	70.06	86.79	126.77	65.21	114.87
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक	83.21	103.08	117.17	76.57	65.06
कॉयर और कॉयर निर्माण	76.11	92.50	117.12	80.76	65.35
तैयार चमड़ा	109.47	109.25	100.84	61.20	58.89
ऑटो घटक / कलपुर्जे	67.12	70.43	79.07	41.52	43.52
प्रसंस्कृत खनिज पदार्थ	201.02	102.65	71.49	47.55	14.95
कृषि रसायन	60.83	60.98	69.33	29.96	38.81
एटीएम इंजेक्टिंग मोल्डिंग मशीनरी आदि	56.19	54.44	68.78	37.67	47.75
डाई इंटरमीडिएट	56.47	47.62	63.05	34.36	67.87
पेंट, वार्निश और संबद्धित उत्पाद	14.79	44.55	62.38	31.93	35.41
अजैविक रसायन	21.72	40.17	61.03	35.55	34.78
लौह और इस्पात के उत्पाद	62.46	68.91	59.71	37.79	36.95
सहायक सामग्री सहित आरएमजी कॉटन	53.90	52.73	58.51	28.20	38.72
सल्फर, गैर पका हुआ लौह पाइराइट	61.47	43.14	58.28	26.81	34.87
अन्य विविध इंजीनियरिंग वस्तुएं	60.81	52.76	57.37	33.10	36.34
जूते को छोड़कर अन्य रबड़ उत्पाद	28.85	29.61	49.98	24.81	38.77
मानव निर्मित धागा, फैब्रिक, निर्मित वस्तुएं	34.90	36.34	49.65	28.34	32.49
अभ्रक	32.99	36.74	47.96	24.90	32.26
चमड़े के जूते	30.19	35.13	41.95	26.64	23.66
चिकित्सा और वैज्ञानिक उपकरण	18.71	24.93	40.58	18.75	33.62
ग्वारगम खाद्य	45.59	30.98	38.63	16.93	35.81
मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	31.49	56.23	38.19	27.41	34.33
कॉटन फैब्रिक्स, बनी बनायी वस्तुएं आदि	37.88	34.89	35.98	22.57	18.49
मशीन टूल्स	26.13	23.95	35.45	22.20	14.99
वायुयान अंतरिक्षयान और कलपुर्जे	17.40	43.38	32.72	24.76	10.48
प्लास्टिक शीट, फिल्म, प्लेट आदि	28.64	30.31	32.17	18.17	20.68
अन्य लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	63.31	34.73	30.93	16.32	18.56
कुल शीर्ष 50	8344.54	9314.55	12671.83	6321.41	8729.24
कुल योग	9014.55	10172.41	13334.42	6688.63	9306.10

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

* 2018-19 के लिए आंकड़े डेटा अनंतिम हैं।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

चीन के आयातों पर आयात शुल्क

2248. श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार चीन के माल के आयात को रोकने के लिए उच्च आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चीन के माल के कारण प्रभावित हो रही है; और
- (घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हो?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) एवं (ख) : वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न पणधारियों जैसे लाइन मंत्रालयों, व्यापार और उद्योग, टैरिफ आयोग आदि के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही आयात शुल्कों की समीक्षा और परिवर्तन किया जाता है। इस समीक्षा अभ्यास को साधारणतः बजट तैयार करने के एक भाग के रूप में किया जाता है।

(ग) एवं (घ) : विदेशी व्यापार हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यावश्यक है, जबकि चीन या किसी अन्य अर्थव्यवस्था के अनुचित व्यापार व्यवहार से घरेलू उत्पादकों और उपभोक्ताओं को बचाने के लिए प्रावधान मौजूद है। भारत के पास अपने जनसमूह, पौधों एवं पशुओं के पर्यावरण, जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक विस्तृत और मजबूत कानूनी ढांचा और संस्थागत ढांचा है। भारतीय उपभोक्ताओं और उत्पादकों की सुरक्षा के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत पर्याप्त प्रावधान मौजूद है क्योंकि आयातित वस्तु घरेलू कानूनों नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विशिष्टताओं, पर्यावरण और सुरक्षा मानदंडों के अधीन है। घरेलू वस्तुओं

पर लागू बीआईएस मानक आयातित वस्तुओं पर भी लागू होते हैं। खाद्य/खाद्य वस्तुओं का आयात एफएसएसएआई मानकों के अध्याधीन है। पादप एवं पादप आधारित उत्पाद आयात पादप संगरोध उपायों एवं स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता उपायों के अध्याधीन हैं। पशु एवं पशु आधारित उत्पादों का आयात स्वच्छता आयात परमिट के अध्याधीन है।

घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले आयातों के लिए पाटन-विरोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क एवं रक्षोपाय शुल्क क्षेत्र जैसे व्यापार रक्षा उपाय उपलब्ध हैं। जब भी भारतीय उद्योग सस्ते आयात द्वारा प्रभावित होता है यह उपर्युक्त प्रावधानों के तहत सरकार से उपाय करने की मांग कर सकता है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत पुष्ट याचिका के आधार पर पाटन-विरोधी जाँच करता है, जिसमें देश में उस माल के पाटन का आरोप लगाया जाता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचती है। इसी प्रकार, डीजीटीआर अपने निर्यात उत्पादों को सब्सिडी देने वाले देशों के खिलाफ सब्सिडी-विरोधी जांच करता है। दिनांक 18.12.2018 के अनुसार, चीन से आयातित 105 उत्पादों पर पाटन-विरोधी शुल्क लागू है। कुछ शर्तों के अध्याधीन, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8बी केंद्र सरकार को भारत में आयातित किसी भी वस्तु की ऐसी बढ़ी हुई मात्रा और ऐसी परिस्थितियाँ जिसके तहत भारतीय घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुँचाने की संभावना हो ऐसी स्थिति में रक्षोपाय शुल्क लगाने का अधिकार देती है।

दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

निर्यात संवर्धन रणनीति

2245. श्री बी. विनोद कुमार:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश के समग्र निर्यात में तेजी लाने के लिए रसायन, प्लास्टिक और संबद्ध उत्पाद क्षेत्र की खेप में वृद्धि करने हेतु एक निर्यात संवर्धन रणनीति पर कार्य कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने रणनीति बनाने और क्षेत्र के मुद्दों पर विचार करने हेतु एक उप-समूह का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) गत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जैविक, गैर-जैविक और कृषि रसायन, प्लास्टिक और इसके उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी.आर.चौधरी)**

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“ निर्यात संवर्धन रणनीति” विषय पर लोक सभा में दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2245 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ख): जी हाँ। वाणिज्य विभाग ने हमारे निर्यात वर्धन के प्रयास किए हैं और तदनुसार हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सेक्टर-वार एवं क्षेत्र-वार एक निर्यात संवर्धन कार्यनीति तैयार की है। उद्योग, हितधारकों एवं संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के साथ व्यापक परामर्श के बाद रसायन, प्लास्टिक एवं सहबद्ध उत्पाद क्षेत्र के लिए निर्यात कार्यनीति तैयार की गई है। निर्यात संबंधी मुद्दों को सुलझाने और हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए अभिजात मुद्दों का समाधान करने के लिए उन्हें नियमित आधार पर संबंधित विभागों/मंत्रालयों के साथ उठाया जा रहा है। रसायन, प्लास्टिक और सहबद्ध उत्पाद क्षेत्र के लिए निर्यात कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए तैयार कार्ययोजना कार्यशील है और उद्योग एवं हितधारकों से बातचीत और प्रतिक्रिया के आधार पर उसकी नियमित तौर पर समीक्षा की जा रही है और पूर्ण विवरण लिया जा रहा है।

(ग) जी हाँ, निर्यात समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले अवरोधों को पहचानने एवं क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन कार्यनीति को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग (वस्तु प्रभाग), प्रशासनिक मंत्रालयों के संयुक्त सचिव, संबंधित ईपीसी/एफआईईओ को मिलाकर एक उप-समूह गठित किया गया था। इस उप- समूह ने निर्यातकों द्वारा सामना किए जा रहे अवरोधों की पहचान करने के लिए और निर्यात संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए कार्यवाही करने हेतु हितधारकों एवं संबंधित ईपीसी के साथ परामर्श किया। रसायन, प्लास्टिक एवं सहबद्ध उत्पाद क्षेत्र के लिए संयुक्त सचिव (ईपी (कैप) प्रभाग, वाणिज्य विभाग), संयुक्त सचिव (रसायन, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) संयुक्त सचिव (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय), केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति (सीआईबी एंड आरसी) एवं अध्यक्ष, कैपेक्सिल/कैमेक्सिल/प्लेक्सकॉन्सील को मिला कर एक उप-समूह गठित किया गया था जिसकी बैठक 3 जुलाई, 2018 को हुई और इस बैठक में क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन कार्यनीति को तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने के क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। तैयार कार्यनीति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। संबंधित ईपीसी से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने उत्पादों के निर्यात निष्पादन की सक्रिय जांच करें और उद्योग के लिए विकास और अवसरों के क्षेत्रों का सुझाव भी दें।

(घ) विगत 4 वर्षों एवं वर्तमान वर्ष में निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:-

मूल्य मिलियन यूएस डॉलर में					
उत्पाद सेक्टर	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	अप्रैल – अक्टूबर, 2018
जैविक रसायन	5394.36	4859.52	4844.39	7130.46	6241.88
अजैविक रसायन	683.59	628.20	727.63	975.82	727.65
कृषिरसायन	1951.77	1965.71	2140.73	2559.39	1941.59
प्लास्टिक और इसके उत्पाद	7677.2	7636.79	7557.68	8850.18	5367.92

[डाटा स्रोत: डीजीसीआईएस]

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

विश्व व्यापार संगठन में सुधार का मुद्दा

2238. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती):

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ब्यूनस आयर्स में आयोजित जी-20 सम्मेलन में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सुधार के विषय पर चर्चा की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या कृषि संबंधी राजसहायता, ई-व्यापार और ई-कामर्स के संबंध में विकसित और विकासशील देशों के मध्य जटिल मुद्दों पर चर्चा की गई थी और कोई समाधान निकाला गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) बैठक में भारत द्वारा व्यापार और कृषि उत्पादों पर राजसहायता के संबंध में जताई गई चिंताओं का ब्यौरा क्या है और इस पर सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) : जी हाँ। जी-20 के नेताओं ने ब्यूनस आयर्स में 30 नवंबर - 1 दिसंबर 2018 को हुई जी-20 शिखर वार्ता में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सुधार के मुद्दे पर चर्चा की। इस शिखर वार्ता में अंगीकृत लीडर्स घोषणा में डब्ल्यूटीओ में सुधार के लिए सहायता देने की पुनर्पुष्टि की गई ताकि इसकी कार्यप्रणाली को सुधारा जा सके।

(ख) एवं (ग) : इससे पहले, मरडेल - प्लाटा, अर्जेटीना में 14 सितंबर 2018 को जी-20 व्यापार मंत्रियों ने अपनी बैठक में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास, कृषि-खाद्य वैश्विक मूल्य श्रृंखला के वर्तमान, व्यापार एवं निवेश पहलुओं एवं नई औद्योगिक क्रांति के व्यापार एवं निवेश पहलुओं पर चर्चा की। भारत ने सदस्य देशों से व्यापार मामलों पर मतभेदों को मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटाने को प्रेरित किया और विशेष एवं विभेदकारी व्यवहार, मतैक्य बनाने, पारदर्शिता आदि के इसके मूल सिद्धांतों सहित नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारतीय आयातों पर प्रशुल्क लगाना

2235. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) ने यूएसए में भारतीय आयातों पर प्रशुल्क लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) भारतीय वस्तुओं पर यूएसए द्वारा प्रशुल्क लगाए जाने पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर अमेरिका द्वारा प्रशुल्क लगाए जाने के क्या प्रभाव पड़े हो और भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और
- (घ) क्या इस प्रकार के प्रशुल्क का लगाया जाना विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और अन्य समझौतों का उल्लंघन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी.आर.चौधरी)**

(क) : संयुक्त राज्य (यूएस) और भारत सहित प्रत्येक देश विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को अधिसूचित रियायतों की अनुसूची के अनुसार सीमित दर या उससे कम पर आयात शुल्क अधिरोपित करता है। तथापि, मार्च 2018 में, यूएस ने यूएस व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 के तहत कुछ इस्पात एवं एल्युमिनियम उत्पादों पर क्रमशः 25% एवं 10% का वैश्विक शुल्क अधिरोपित करके डब्ल्यूटीओ के प्रति अपनी वचनबद्धता से परे अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित किया है। यह अतिरिक्त शुल्क यूएस को भारतीय निर्यातों पर भी लागू है।

(ख) : चूंकि यूएस द्वारा उद्ग्रहीत यह अतिरिक्त शुल्क सम्भवतः डब्ल्यूटीओ के अनुरूप नहीं है, इसलिए भारत ने डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय के समक्ष इस मुद्दे को चुनौती दी थी।

(ग): कैलेंडर वर्ष 2017 में निर्यात मूल्य के आधार पर (स्रोत: यूनाइटेड नेशन्स कॉमट्रेड - डब्ल्यूआईटीएस डाटा), यूएस सरकार द्वारा एकत्रित शुल्क अनुमानतः 241 मिलियन अम.डा. हो सकता है। भारत ने भी यूएस से आयात पर उसी सीमा तक अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित किया है, तथापि, अधिसूचना अभी तक लागू नहीं हुई है। यद्यपि यूएस को इस्पात निर्यात में अतिरिक्त शुल्क एवं प्रतिकारी शुल्क के कारण अंशतः गिरावट आयी है, वर्तमान वर्ष में एल्युमिनियम के निर्यात में वृद्धि हुई है।

(घ): यूएस द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शुल्क सम्भवतः डब्ल्यूटीओ के अनुरूप नहीं हैं, और भारत सहित कई देशों ने डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय के समक्ष इस अधिरोपण को चुनौती दी है।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

चीन से बढ़ते हुए आयात

2201. श्री पी. आर. सेनथिलनाथन:

श्रीमती आर. वनरोजा:

श्रीमती वी. सत्यबामा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में चीन से बढ़ते आयात के कारण विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की रोजगार सृजन की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में चीन से राज्य-वार कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के उत्पाद आयातित किए गए हैं;
- (ग) क्या चीनी उत्पादों पर पाटन-रोधी शुल्क लागू करने से अपेक्षित सफलता नहीं मिली है क्योंकि चीनी कंपनियों द्वारा पाटन की मात्रा की तुलना में वे काफी कम हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी आर चौधरी)**

(क) एवं (ख): चीन एवं अन्य देशों से बढ़ते हुए आयात विनिर्माण क्षेत्र और एमएसएमई उपक्रमों सहित घरेलू उद्योग को प्रभावित करते हैं। सरकार चीन तथा अन्य देशों से आयातों से प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करने के लिए विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्कीमों जैसे , 'मेक इन इंडिया, ' डिजिटल इंडिया', सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क्स (एसटीपीएस), इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) स्कीम/ निर्यातान्मुख इकाई (ईओयू) स्कीम , विशेष आर्थिक क्षेत्र स्कीम (एसईजेड) आदि जो देश में घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करती हैं, कार्यान्वयन के अधीन हैं।

विगत तीन वर्षों तथा वर्ष 2018-19 (नवंबर, 2018 तक) के लिये मात्रा एवं मूल्य के अनुसार चीन से भारत में आयात की शीर्ष 50 प्रमुख पण्य वस्तुओं का समूह -वार विवरण अनुबंध -1 के रूप में संलग्न हैं।

(ग) एवं (घ): व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) घरेलू उद्योग को क्षति के प्रथम - दृष्टया साक्ष्य के साथ घरेलू उत्पादक द्वारा दायर किये गये विधिवत प्रमाणित याचिका के आधार पर व्यापार उपचार जांच आरंभ करता है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये ऐसे आवेदन पर प्रक्रिया के अनुसार और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसके तहत बनाए गये नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जाती है। डीजीटीआर जांच करता है और जहां भी उपयुक्त है, प्राथमिक/ अंतिम निष्कर्ष जारी करके राजस्व विभाग को, शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। डीजीटीआर की सिफारिशों पर कार्य करते हुए, राजस्व विभाग अनंतिम अथवा निर्णायक शुल्क अधिरोपित कर सकता है। दिनांक 18.12.2018 तक, चीन पीआर से आयात किये जा रहे 105 उत्पादों पर व्यापार उपचार उपाय लागू हैं।

निर्यातकों द्वारा अपनाए जा रहे अनुचित व्यापार व्यवहार के मामले में एमएसएमई को डीजीटीआर के पास जाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और उन्हें उपलब्ध व्यापार उपचार उपायों के बारे में अवगत करने के लिए, डीजीटीआर ने आउटरीच कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रारंभ की है। ये आउटरीच कार्यक्रम साइट पर सत्यापन के लिए घरेलू उद्योगों का दौरा करते समय जांच दलो द्वारा संचालित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापार उपचार उपायों के बारे में घरेलू विनिर्माताओं के मार्गदर्शन के लिए डीजीटीआर में हेल्प डेस्क की सुविधा उपलब्ध की गयी है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 2015-16 से 2017-18 और वर्तमान वर्ष 2018-19 में नवंबर, 2018 तक चीन से आयातित शीर्ष 50 पण्यवस्तुएं

पण्यवस्तु समूह	गुणवत्ता की इकाई	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19 नवंबर तक	
		मात्रा	मूल्य मिलियन अम.डॉ. में	मात्रा	मूल्य मिलियन अम.डॉ. में	मात्रा	मूल्य मिलियन अम.डॉ. में	मात्रा	मूल्य मिलियन अम.डॉ. में
दूरसंचार उपकरण			10093.36		11307.83		15594.19		5741.24
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक			3514.48		4440.91		5496.19		3717.92
कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफेरल्स			4413.69		4071.73		5026.08		2838.13
डेयरी आदि के लिए मशीनरी सहित			2866.60		2839.89		3418.77		2449.83
जैविक रसायन	कि.ग्रा.	1282621407	2416.74	1091826325	2187.94	1323004578	2931.53	1005442304	2483.59
इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण			1926.26		2134.42		2531.12		1598.43
विद्युत तंत्र और उपकरण			2170.23		2036.72		2463.32		1733.90
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स			2204.17		2151.60		2362.31		1524.74
अवशिष्ट रसायन और और संबद्धित उत्पाद			1458.94		1636.77		2168.78		1741.05
बल्क ड्रग्स, ड्रग इंटरमीडिएट	कि.ग्रा.	158286479	2120.15	169225985	1826.34	191174327	2055.94	135700802	1666.13
एसी, रेफ्रिजेशन मशीनरी आदि			1045.79		1249.52		1638.61		1028.48
लोहा और इस्पात	टन	4525032	2359.26	2059971	1346.71	2136676	1621.05	1052481	1000.18
लौह और इस्पात के उत्पाद			1181.85		1229.86		1469.68		1164.87
जहाज, नाव और तैरनेवाली संरचना			1264.90		1454.44		1208.98		66.67
प्लास्टिक कचची सामग्री	टन	536,768	823.53	650,905	897.57	732,093	1178.04	452,539	867.61
ऑटो घटक / कलपुर्जे			898.78		868.58		1164.41		848.95
अन्य वस्तुएं			854.82		839.80		1093.83		750.59
विनिर्मित उर्वरक	टन	8909000	3261.92	3911288	1244.16	3070012	1065.35	3185075	1374.65
अन्य विविध इंजीनियरिंग मर्दे			751.06		902.05		1064.11		688.23
सहायक उपकरण और बैटरी			510.49		608.78		947.88		708.17

मानवनिर्मित धागे, कपडे, मेडअप्स			853.93		798.59		938.28		689.39
एल्यूमीनियम, अल्युमीनियम के उत्पाद	टन	247,617	717.59	243,756	696.90	252,538	794.39	261,618	809.82
मशीन टूल्स			431.70		544.89		748.19		552.15
कृषि रसायन	कि.ग्रा.	33000125	332.65	59676456	506.10	61521061	726.69	45847741	504.24
प्लास्टिक मर्दे			477.81		516.24		684.11		417.19
क्रेन, लिफ्ट और विंचेस			410.30		692.05		671.90		476.80
अन्य वस्त्र के धागे कपडे मेडअप			487.19		432.17		670.85		402.58
कोयला, कोक और ब्रिकेट्स आदि	टन	2636215	364.40	2266266	402.79	2059469	642.52	1573387	553.78
परियोजना वस्तुएं	कि.ग्रा.	106094311	994.11	107631453	763.00	178084426	609.54	182617187	382.27
ग्लास और ग्लासवेयर			406.91		478.34		607.66		468.73
मोल्डेड और एक्सट्रूडेड वस्तुएं			484.41		537.77		607.32		369.02
पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद			362.11		434.50		602.47		357.45
अन्य गैर-लौह धातु और उत्पाद			399.31		445.35		587.21		413.38
अन्य निर्माण मशीनरी			352.71		416.10		580.49		485.94
हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीनों को छोड़कर)			412.54		401.23		555.35		293.02
अकार्बनिक रसायन	कि.ग्रा.	750437087	502.39	497466025	428.99	522224453	531.33	667786377	528.99
चिकित्सा और वैज्ञानिक उपकरण			342.62		388.01		510.51		341.76
सिरेमिक और संबद्धित उत्पाद			576.54		379.57		476.25		300.88
प्लास्टिक शीट, फिल्म, प्लेट आदि	कि.ग्रा.	132723633	294.29	138634310	318.72	183474068	476.02	137651263	522.62
अन्य विविध रसायन	कि.ग्रा.	72475754	393.44	70815197	338.58	82808843	420.87	65009579	388.96
आईसी इंजन और कलपुर्जे			176.18		265.22		397.18		226.47
पेंट, वार्निश और संबंधित उत्पाद	कि.ग्रा.	103679581	227.37	114291748	245.61	131814235	360.04	90886529	256.79
चांदी	कि.ग्रा.	775,896	384.51	793,516	440.69	595,672	326.31	518,314	259.77
प्लाईवुड और संबद्धित उत्पाद			272.54		254.95		324.45		185.32

पेट्रोलियम उत्पाद	टन	879,523	243.08	920,413	213.11	1032193	313.84	492,341	187.86
आप्टिकल आइटम (लेंस आदि सहित)			135.20		137.69		296.79		189.77
एटीएम इंजेक्टिंग मोल्डिंग मशीनरी आदि			215.05		240.20		292.90		196.29
हाथ के औजार, धातुओं को काटने का औजार			213.76		182.63		266.76		199.89
रबड़ / कैनवस आदि के जूते।			147.14		167.84		256.03		140.73
तांबा और तांबा के बने उत्पाद			185.58		197.24		245.60		163.06
अन्य			3773.59		3742.32		4358.70		3094.27
चीन से कुल आयात			61707.95		61283.03		76380.70		48352.56

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

* वित्तीय वर्ष 2018-19 के
आंकड़े अनंतिम हैं और
परिवर्तन के अधीन हैं।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

आलू के बीजों का निर्यात

2189. श्री पंकज चौधरी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सरकार की सूचना में आया है कि भारत के विश्व में सर्वाधिक आलू उत्पादन करने वाला देश होने के बावजूद भी आलू के बीजों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या सरकार का आलू के बीजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रभावी नीति बनाने का विचार है;
- (घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त नीति को कब तक बनाए जाने की संभावना है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी.आर.चौधरी)**

(क) और (ख) : जी हाँ। आलू के बीजों के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी नगण्य है। हालांकि विगत तीन वर्षों में भारत से आलू के बीजों का निर्यात लाभप्रद वृद्धि दर्शा रहा है।

एचएस कोड	उत्पाद	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19 (अप्रैल - सितंबर)	
		मात्रा	मि.अम.डा	मात्रा	मि.अम.डा	मात्रा	मि.अम.डा	मात्रा	मि.अम.डा
070110 00	ताजा आलू का बीज/ प्रशितित	818.07	0.71	1146.75	1.05	4174.72	2.06	1073.87	0.40

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

नीदरलैंड आलू के बीज का सबसे बड़ा निर्यातक है उसके पश्चात अन्य यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी हैं।

(ग) से (ङ.) आलू के बीज के निर्यात में उद्योग/अनुसंधान संस्थानों द्वारा कोई विशेष मुद्दे रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। आलू के बीजों के निर्यात के लिए विशेष रूप से किसी नीति पर विचार नहीं किया जा रहा है, परन्तु सरकार देश से कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कृषि निर्यात नीति लाई है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास

प्राधिकरण (एपीईडीए) भी अपनी निर्यात संवर्धन स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत आलू के बीजों जैसे बागवानी उत्पादों के निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारत का संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और जापान के साथ व्यापार

2183. श्रीमती वी. सत्यबामा:
श्री पी.आर. सेनथिलनाथन:
श्रीमती आर. वनरोजा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने अमेरिकी डॉलर जैसे तीसरी बेंचमार्क मुद्रा लिए बिना संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), जापान और अन्य देशों के साथ मुद्रा की अदला-बदली करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को इससे क्या लाभ प्राप्त हुआ है;
- (ग) क्या सरकार का इन देशों से निर्यात और आयात में बढ़ोतरी होने की अनुमान है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत चार वर्षों के दौरान भारत, यूएई और जापान के बीच आयात-निर्यात व्यापार कितना है ?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी.आर.चौधरी)**

(क) और (ख): आरबीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरबीआई ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात सेंट्रल बैंक के साथ तीन वर्षों की अवधि के लिए द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप करार पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त अरब अमीरात सेंट्रल बैंक (सीबीयूए) स्वैप मुद्रा के लिए अधिकतम राशि के रूप में दो (2) बिलियन संयुक्त अरब अमीरात दिरहम (एईडी) प्रदान करेगा, जबकि आरबीआई 35 बिलियन भारतीय रूपए का ऋण प्रदान करेगा। यूएई के साथ मुद्रा स्वैप दो देशों के बीच एक अनुबंध है जो अमरीकी डालर जैसी तीसरी बेंचमार्क मुद्रा को शामिल किए बिना आयातों और निर्यातों (घरेलू मुद्राएं) के लिए भुगतान की अनुमति देता है। बेहतर और स्थिर व्यापार संबंधों के संदर्भ में दोनों देशों को लाभ होने की संभावना है। भारत और जापान 75 बिलियन अम.डा का द्विपक्षीय स्वैप करार करने के लिए सहमत हो गए हैं। यह अमरीकी डॉलर में होगा और विदेशी विनिमय भण्डार की व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप करार पर संशोधित रूपरेखा के अनुसार, नीचे तालिका में आवंटित राशि दी गई है।

	सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था पर संशोधित फ्रेमवर्क के तहत आवंटित राशि						
देश	अफगानिस्तान	बांग्लादेश	भूटान	मालदीव	नेपाल	पाकिस्तान	श्रीलंका
स्वैप मुद्रा मिलियन अम.डाँ में उपलब्ध	100	400	100	200	400	400	400

प्रत्येक सदस्य देश को इसके प्रचालन के लिए हमारे साथ पृथक करार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में, भूटान, नेपाल और मालदीव के साथ करार लागू है। ये देश अमरीकी डालर

अथवा यूरो में समान राशि ले सकते हैं। भूटान को समान राशि भारतीय रूपए में लेने की सुविधा भी प्रदान की गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने इस व्यवस्था के संचालन के लिए हमसे कभी संपर्क नहीं किया। श्रीलंका के साथ करार मार्च 2018 में समाप्त हो गया। सार्क स्वैप व्यवस्था, अस्थायी कठिनाइयों के समय सदस्य देशों के लिए आपातकालीन नकदी सहायता के रूप में है।

(ग) द्विपक्षीय व्यापार अनेक व्यापक आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार भागीदारों के मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के बुनियादी सिद्धांत शामिल हैं। भारत सरकार, द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने तथा व्यापार को बाधित करने वाली कठिनाइयों, यदि कोई हो, का समाधान करने के लिए अपने संस्थागत तंत्र जैसे संयुक्त आयोग की बैठके(जेसीएम) तथा संयुक्त व्यापार समितियों (जेटीसी) यूएई और जापान सहित अपने व्यापार भागीदारों के साथ बैठकें कराती है। इसके अतिरिक्त, यूएई और जापान सहित अपने व्यापार भागीदारों को भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, बाजार पहुँच पहल (एमएआई) के तहत वाणिज्य विभाग यूएई और जापान सहित विदेशी भारतीय उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए व्यापार प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, कारोबार संबंधी बैठकों आदि के आयोजन के लिए व्यापारिक संघों, चैम्बरों और निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

(घ): विगत चार वर्षों में यूएई और जापान के साथ भारत के व्यापार का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

मूल्य मिलियन अम.डॉ में

वर्ष/देश	यूएई			जापान		
	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
2014-15	33038.08	26139.91	59167.99	5385.57	10131.36	15516.93
2015-16	30316.50	19445.68	49762.18	4662.85	9850.22	14513.07
2016-17	31175.50	21509.83	52685.33	3845.73	9754.64	13600.37
2017-18	28146.12	21739.11	49885.23	4734.22	10973.35	15707.57

स्रोत: डीजी एंड सीआईएस

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

लघु चाय किसानों हेतु ऐप

2166. डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय चाय बोर्ड ऐसे लघु चाय उत्पादकों, जिनकी कुल चाय-उत्पादन में हिस्सेदारी बढ़ रही है, को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक ऐप शुरू करने की योजना बना रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सही है कि इस ऐप का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संप्रेषण स्थापित करने का है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) से (घ) : चाय बोर्ड क्षेत्रीय गतिविधियों की बेहतर निगरानी करने और उस छोटे उपजकर्ता सेक्टर, जिसका कुल चाय उत्पादन में लगभग 47% हिस्सा है, को सूचना प्रसार के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करने की योजना बना रहा है। यह मोबाइल एप्लिकेशन क्षेत्रीय गतिविधियों जैसे परामर्शी दौरों, कार्यशालाओं, उपजकर्ताओं के पंजीकरण, ग्रीन लीफ़ की कीमतों का प्रसार करने इत्यादि की बेहतर मॉनिटरिंग प्रदान करेगा और यह उपजकर्ताओं को विशिष्ट परामर्शी सेवाओं के सम्बंध में प्रक्षेत्र अधिकारियों के साथ संपर्क करने की सुविधा भी देगा।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

चाय का उत्पादन, आयात और निर्यात

2128. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में चाय के उत्पादन और घरेलू उपभोग का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान चाय के निर्यात और आयात की देश-वार मात्रा और मूल्य कितना है;
- (ग) चाय के उत्पादन और निर्यात में विश्व में भारत की हिस्सेदारी कितनी है और इसमें विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार हिस्सेदारी कितनी है;
- (घ) क्या चाय के उत्पादन और निर्यात में कमी आई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) उक्त अवधि के दौरान चाय उत्पादकों, विशेषकर असम के लघु चाय उत्पादकों को सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और
- (च) सरकार द्वारा चाय के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) : विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश (राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार) में चाय के उत्पादन और घरेलू उपभोग का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) : विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान चाय के निर्यात एवं आयात की मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है।

(ग) : चाय के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी और चाय निर्यात के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की हिस्सेदारी का ब्यौरा अनुबंध -3 में दिया गया है।

(घ) : वर्ष 2017-18 के दौरान, भारत ने उत्पादन और निर्यात दोनों में उच्चतम को प्राप्त किया। वर्तमान वर्ष 2018;19 (अक्टूबर, 2018 तक) भारत का चाय निर्यात 2.34 मि.कि.ग्रा. से कम है जबकि विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उत्पादन 13 मि.किग्रा कम था प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में प्रतिकूल जलवायु के कारण वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान चाय उत्पादन कम रहा । चाय निर्यात में गिरावट के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में कम आयात और खपत, अफ्रिकी देशों में अधिक उत्पादन और अतिरिक्त आपूर्ति की उपलब्धता है।

(ङ.): विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिनांक 30.11.2018 तक) के दौरान चाय विकास और संवर्धन स्कीम के तहत उत्पादकों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

वित्तीय वर्ष	वित्तीय सहायता (करोड़ रुपये में)
2015-16	126.85
2016-17	101.39
2017-18	118.91
2018-19 (30.11.2018 तक) *	34.78
योग	381.93

* अनंतिम

स्रोत: चाय बोर्ड

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिनांक 30.11.2018 तक) के दौरान चाय विकास और संवर्धन स्कीम के तहत असम के लघु उत्पादकों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	वित्तीय सहायता (करोड़ रुपये में)
2015-16	3.83
2016-17	3.28
2017-18	3.28
2018-19 (30.11.2018 तक) *	2.53
संपूर्ण	12.92

* अनंतिम

स्रोत: चाय बोर्ड

(च): केन्द्र सरकार, चाय बोर्ड के माध्यम से “चाय विकास और संवर्धन स्कीम (टीडीपीएस)” का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चाय उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता उन्नयन, अनुसंधान और विस्तार सुधार और उत्पादकों और चाय उद्योग के हितकारकों को वित्तीय और तकनीकी सहायता के प्रावधानों के माध्यम से निर्यात और मूल्य वर्धन को बढ़ावा देना, के क्रियाकलाप शामिल है। स्कीम का उद्देश्य चाय उत्पादन, उत्पादकता, मूल्यवर्धन, मिश्र उत्पाद में परिवर्तन, चाय बागानों के कामगारों और उनके बच्चों के लिए कल्याणकारी उपाय, मूल्य श्रृंखला में बढ़ने के लिए लघु उत्पादकों का क्षमता निर्माण, लघु चाय उत्पादकों को प्रशिक्षण प्रदान करना आदि शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय के निर्यात में वृद्धि करने के लिए, केन्द्रित और सतत उपाय किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्रेता-विक्रेता बैठक का प्रबंध करना, व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का प्रभावपूर्ण आदान-प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी और प्रमुख बाजारों में भारतीय ब्रांडों के जेनेरिक संवर्धन संबंधी कार्य करना शामिल है।

तालिका -1 (भारत में चाय का उत्पादन)

राज्य / संघ राज्य	मि.क्रिया में उत्पादन			
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 * (अप्रैल से अक्टूबर)
असम घाटी	605.31	607.18	628.91	525.61
कछार	47.64	50.06	47.40	38.28
कुल असम	652.95	657.24	676.31	563.89
डोर्स	185.39	204.26	221.50	167.39
तराई	135.47	145.17	163.07	115.15
दार्जिलिंग	8.84	7.96	3.29	6.78
कुल पश्चिम बंगाल	329.70	357.39	387.86	289.32
अन्य	25.91	28.48	27.23	22.91
कुल उत्तर भारत	1008.56	1043.11	1091.40	876.12
तमिलनाडु	161.49	143.67	164.40	109.07
केरल	56.63	58.61	63.88	36.98
कर्नाटक	6.46	5.10	5.37	3.25
कुल दक्षिण भारत	224.58	207.38	233.65	149.30
कुल संपूर्ण भारत	1233.14	1250.49	1325.05	1025.42

* अनंतिम और संशोधन के अधीन

स्रोत: चाय बोर्ड

तालिका -2 (भारत में चाय की घरेलू खपत जैसाकि वित्त वर्ष के अंत में अनुमानित किया गया)

वर्ष	घरेलू खपत (मि.क्रिया में)
2015-16	951
2016-17	973
2017-18	1066
2018-19	अनुमानित किया जाना है

स्रोत: चाय बोर्ड

* चाय बोर्ड द्वारा राज्य / संघ राज्यवार खपत आंकड़ों को नहीं रखा जाता है।

तालिका -1 (देश – वार भारत से चाय निर्यात)

देश का नाम	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19 (अप्रैल-अक्टूबर) *	
	मात्रा (मि.किग्रा)	मूल्य (करोड़ रु)	मात्रा (मि.किग्रा)	मूल्य (करोड़ रु)	मात्रा (मि.किग्रा)	मूल्य (करोड़ रु)	मात्रा (मि.किग्रा)	मूल्य (करोड़ रु)
रूसी संघ	48.23	670.57	45.21	683.38	48.10	777.17	25.36	390.86
यूक्रेन	3.21	45.03	12.09	228.41	9.74	177.15	2.22	33.08
कजाखस्तान	10.20	271.36	3.28	48.64	3.75	56.24	6.02	112.64
अन्य सीआईएस	1.28	30.04	1.21	22.66	1.50	29.19	0.89	18.85
कुल सीआईएस	62.92	1017.00	61.79	983.09	63.09	1039.75	34.49	555.43
यूनाइटेड किंगडम	20.02	410.90	24.24	632.82	31.19	778.61	9.52	212.87
नीदरलैंड	3.31	82.11	18.84	390.61	21.63	427.47	2.36	90.54
जर्मनी	10.53	262.76	11.13	113.69	16.09	147.94	5.18	153.14
आयरलैंड	1.98	70.18	16.06	316.14	16.07	324.19	1.00	55.40
पोलैंड	6.14	86.51	14.61	405.63	13.23	363.27	3.20	57.49
अमेरीका	14.03	364.61	5.20	58.58	12.69	174.40	5.64	177.41
कनाडा	2.22	64.73	10.79	262.01	10.42	246.20	0.82	30.01
संयुक्त अरब अमीरात	16.15	333.65	6.09	113.49	9.00	154.08	8.57	174.48
ईरान	22.13	571.81	5.38	83.72	6.25	96.79	15.72	386.63
सऊदी अरब	3.23	77.37	3.72	90.30	4.50	106.51	2.35	59.48
मिस्र (एआईई)	3.08	30.80	3.70	97.03	4.26	99.85	5.37	71.34
अफगानिस्तान	1.20	13.90	2.87	41.25	4.08	52.11	0.42	9.76
बांग्लादेश	9.49	83.88	3.29	140.02	3.70	147.80	1.14	16.20
चीन	4.79	93.18	2.36	93.55	2.65	102.17	5.44	95.32
सिंगापुर	0.44	11.23	3.39	134.49	2.55	90.90	0.72	17.71
श्रीलंका	1.86	28.65	2.95	87.74	2.50	67.47	2.24	28.73
केन्या	2.69	27.51	1.01	14.77	1.05	15.43	0.10	2.33
जापान	3.27	139.82	0.96	20.03	0.95	16.95	2.30	90.68
पाकिस्तान	19.37	192.61	0.49	13.14	0.51	14.17	8.87	87.71
ऑस्ट्रेलिया	3.47	119.51	7.20	77.46	0.46	5.86	1.33	50.14
दूसरे देश	20.60	410.38	21.56	462.94	29.70	592.96	18.38	391.69
कुल	232.92	4493.10	227.63	4632.50	256.57	5064.88	135.16	2814.49

* अनंतिम, संशोधन के अधीन।

स्रोत: चाय बोर्ड

तालिका -2 (भारत में चाय का देश-वार आयात)

देश का नाम	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19 (अप्रैल-अक्टूबर) *	
	मात्रा (मि.किग्रा)	मूल्य (करोड़ रु)	मात्रा (मि.किग्रा)	मूल्य (करोड़ रु)	मात्रा (मि.किग्रा)	मूल्य (करोड़ रु)	मात्रा (मि.किग्रा)	मूल्य (करोड़ रु)
अर्जेंटीना	0.23	2.01	1.00	9.80	0.79	6.86	0.52	4.87
चीन	0.20	4.25	0.30	6.18	0.31	7.07	0.14	2.13
जर्मनी	0.04	1.52	0.21	3.51	0.02	0.85	0.01	0.4
इंडोनेशिया	0.64	10.68	0.67	7.99	0.51	5.13	0.07	0.82
ईरान	0.36	3.58	0.20	1.65	0.81	7.96	0.45	3.22
केन्या	3.30	73.37	3.57	70.17	2.65	58.75	0.8	19
मलावी	0.45	6.68	0.41	5.75	0.21	3.37	0.19	2.83
मलेशिया	-	-	-	-	0.01	0.06	0.02	0.1
मोजाम्बिक	-	-	-	-	0.02	0.15	-	-
म्यांमार	0.02	0.48	0.02	0.48	-	-	-	-
नेपाल	11.71	118.08	11.59	137.53	12.05	154.65	11.32	139.06
नीदरलैंड	-	-	-	-	0.02	0.32	-	-
सिंगापुर	-	-	-	-	-	-	0.49	3.77
दक्षिण अफ्रीका	-	-	-	-	0.01	0.11	-	-
श्रीलंका	0.18	6.61	0.19	7.63	0.10	5.45	0.05	2.32
ताइवान	0.00	0.05	-	-	0.01	0.28	0.02	0.25
तंजानिया	0.06	0.90	-	-	0.03	0.37	0.15	2.14
संयुक्त अरब अमीरात	0.04	0.50	0.03	0.15	0.35	2.65	0	0.37
अमेरीका	0.41	4.56	1.12	13.19	0.86	10.57	0.43	8.9
युगांडा	0.01	0.14	0.02	0.30	-	-	-	-
यूनाइटेड किंगडम	0.60	8.93	0.75	11.69	0.91	14.33	0.45	8.79
वियतनाम	0.09	0.99	1.45	13.22	0.71	6.74	0.05	0.62
जिम्बाब्वे	0.09	1.15	0.07	0.95	0.21	2.89	0.28	4.14
कुल	18.43	244.48	21.60	290.19	20.59	288.56	15.44	203.73

* अर्न्तम, संशोधन के अधीन।

स्रोत: चाय बोर्ड

विश्व में चाय उत्पादन के संदर्भ में भारत 23% हिस्सेदारी के साथ 2^{रें} स्थान पर है जबकि निर्यात में 14% हिस्सेदारी के साथ 4^{थें} स्थान पर है। वर्ष 2017-18 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उत्पादन को हिस्सेदारी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

चाय उत्पादन हिस्सा (राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों)

राज्य	पूरे भारत में उत्पादन का हिस्सा
असम	51.04
पश्चिम बंगाल	29.28
तमिलनाडु	12.41
अरुणाचल प्रदेश	0.84
त्रिपुरा	0.66
केरल	4.82
कर्नाटक	0.41
मेघालय	0.04
नगालैंड	0.09
बिहार	0.35
सिक्किम	0.01
हिमाचल प्रदेश	0.06
कुल	100.00

* मिजोरम और उत्तराखंड का चाय उत्पादन में हिस्सेदारी नगण्य है।

** चाय को ज्यादातर निर्यात करने से पहले मिश्रित किया जाता है, इस प्रक्रिया में मूल उत्पत्ति (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार) खो जाती है। इसलिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के निर्यात में हिस्सेदारी से संबंधित आंकड़े चाय बोर्ड द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

एस.ई.जेड. में निवेश

2115. डॉ. किरिट पी. सोलंकी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) इकाइयों और डेवलपर्स पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी.) लगाने के कारण एस.ई.जेड. के निवेश में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने एस.ई.जेड. में निवेश बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार की डेवलपर्स और इकाइयों के लिए कार्य को सुगम बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए एस.ई.जेड. हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरंभ करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) सरकार द्वारा एस.ई.जेड. के विकास हेतु शुरू किए गए वैकल्पिक उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या एस.ई.जेड. ने विगत दो वर्षों में उनके संबंधित क्षेत्रों के अवसंरचना और आर्थिक विकास हेतु योगदान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) : सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) छूट को वापस ले लिया है। एमएटी के आरंभ होने के पश्चात एसईजेड में निवेश का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वित्त वर्ष	निवेश * (करोड़ रु.)	निवेश में वृद्धि (करोड़ रु.)
1	2012-2013	2,36,717	-
2	2013-2014	2,96,663	59,946
3	2014-2015	3,38,794	42,131
4	2015-2016	3,76,494	37,700
5	2016-2017	4,23,189	46,695
6	2017-2018	4,74,917	51,728
7	2018-2019 (30.09.2018 तक)	4,92,312	17,395

*संचयी आधार पर परिकलित

(ख) और (ग): एसईजेड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में निम्नलिखित पहल किए गए हैं :-

- i. सरकार एसईजेड की नीति और प्रचालन तंत्र की आवधिक समीक्षा करती है तथा आवश्यक उपाय करती है जिससे एसईजेड के शीघ्र एवं प्रभावी कार्यान्वयन को सुकर बनाया जा सके ।
- ii. नए एसईजेड की स्थापना करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि क्षेत्र को बहु - उत्पाद और क्षेत्र - विशिष्ट एसईजेड के लिए 50 प्रतिशत कम कर दिया गया है ।
- iii. एक ही क्षेत्र के तहत समान/ संबंधित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए क्षेत्रीय ब्राड-बैंडिंग आरंभ किया गया है ।
- iv. एसईजेड के प्रचालनों को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए एसईजेड और गैर एसईजेड निकायों द्वारा सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना जैसी सुविधाओं के दोहरे उपयोग की अनुमति दी गई है ।
- v. राज्य सरकारों को अपनी एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का परामर्श दिया गया है ।
- vi. एसईजेड के विकास आयुक्तों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं ।

(घ): एसईजेड से आयातों और निर्यातों के लिए माल की आवा-जाही हेतु पेपर रहित लेन देन की सुविधा के लिए वेब आधारित प्लेटफॉर्म - एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली पहले ही क्रियान्वित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त एसईजेड इकाईयों/विकासकर्ताओं की सुविधा के लिए "एसईजेड इंडिया " नामक एक मोबाईल ऐप जिसके चार भाग हैं एसईजेड सूचना, एसईजेड ऑनलाइन लेनदेन, व्यापार सूचना और संपर्क विवरण, को दिनांक 06.01.2017 को आरंभ किया गया ।

(ड.) अवसंरचना और आर्थिक विकास का आकलन करने के लिए किया गया निवेश, सृजित रोजगार और एसईजेड से निर्यात प्रमात्रात्मक मानदंड हैं। विगत दो वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान एसईजेड में निवेश, सृजित रोजगार और निर्यात का विवरण अधोलिखित है:-

वित्त वर्ष	निवेश* (करोड़ रु. में)	रोजगार* (व्यक्ति)	निर्यात (करोड़ रु. में)
2016-2017	4,23,189	17,31,641	5,23,637
2017-2018	4,74,917	19,77,216	5,81,033
2018-2019 (अप्रैल से सितंबर, 2018 तक)	4,92,312	19,96,610	3,33,661

*संचयी आधार पर परिकलित

दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

कॉफी हितधारकों के लिए प्रौद्योगिकीय पहल

2099. श्री प्रताप सिन्हा:
कुमारी शोभा कारानन्दलाजे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल में कॉफी हितधारकों को कॉफी कनेक्ट और कॉफी कृषि थरंग के लिए प्रौद्योगिकीय पहलों की शुरुआत की है और यदि हां, तो इसके उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) कॉफी कृषि थरंग के लिए कॉफी उगाने वाले कितने किसानों को कवर किया गया है तथा कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
- (ग) क्या सरकार का एकीकृत कॉफी विकास परियोजना को उच्च परिव्यय के साथ 12वीं योजना अवधि से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या कॉफी बोर्ड ने कॉफी उत्पादन और कॉफी कृषि के कुछ बारहमासी मुद्दों और चुनौतियों को सुलझाने के लिए प्रौद्योगिकीय समाधानों को चिन्हित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) उन्नत कॉफी की किस्मों, विशेषकर अरेबिका कॉफी को लक्षित करके कॉफी बोर्ड द्वारा आरंभ किए गए अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) कॉफी क्षेत्रक में अनुमानित कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) : जी हां । कॉफी बोर्ड ने दिनांक 04.09.2018 को कॉफी पणधारियों के लाभ हेतु प्रौद्योगिकी पहल अर्थात् कॉफी कनेक्ट मोबाइल ऐप्प और कॉफी कृषि थरंग का शुभारम्भ किया है। कॉफी कनेक्ट मोबाइल ऐप्प, का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, फील्ड कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमता में सुधार लाना तथा फील्ड क्रियाकलापों जैसे कॉफी उत्पादकों, कॉफी संपदाओं, अवसंरचना का डिजीटाईजेशन आदि की संपूर्ण प्रक्रिया को आसान बनाना तथा कॉफी उत्पादकों को, परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। इसका उद्देश्य विस्तार पदाधिकारियों के क्रियाकलापों तथा सब्सिडी अदायगी में पारदर्शिता लाना है ।

काँफी कृषि थरंग का उद्देश्य उत्पादकता, लाभप्रदता और पर्यावरण संधारणीयता में वृद्धि लाने के लिए अनुकूलित सूचना और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है।

(ख) : काँफी कृषि थरंग के तहत 30,000 काँफी उत्पादकों को प्रायोगिक चरण (जुलाई 2018 से फरवरी 2019) के दौरान लक्षित किया जा रहा है। अभी तक कर्नाटक के चिकमगलपुर और हसन जिलों से लगभग 10000 उत्पादकों को कवर किया गया है।

काँफी कृषि थरंग के लिए आवंटित निधि :

एजेंसी / संगठन का योगदान	राशि (रुपये में)
डेवलपमेंट इंडिया फाउंडेशन के लिए सुस्पष्ट कृषि (पीएडी आईएफ)	35,04,384
नाबार्ड	15,00,000
कुल	50,04,384

इसके अलावा, काँफी बोर्ड श्रम शक्ति सहायता, कॉल सेंटर हेतु स्थान, कम्प्यूटर एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहा है।

(ग): केंद्र सरकार ने 647.46 करोड़ के परिव्यय के साथ मध्यावधि ढांचा अवधि (2017-18 से 2019-20) के दौरान अगले 3 वर्षों की अवधि के लिए XII योजना स्कीम “ एकीकृत काँफी विकास परियोजना” जारी रखने हेतु मंजूरी दी है। अनुमोदित परिव्यय का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	संघटक	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
1	अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण	7.13	9.75	7.86	24.74
2	पणधारियों को विकास सहायता	23.62	31.12	31.31	86.05
3	बाजार विकास और निर्यात संवर्धन	24.75	25.13	25.88	75.76
4	स्थापना व्यय - वेतन प्रशासनिक व्यय, पेंशन	128.10	127.87	135.94	391.91
5	पूर्ववर्ती वर्षों की लंबित सब्सिडियाँ	69.00	0.00	0.00	69.00
	कुल योग	252.60	193.87	200.99	647.46

(घ) : कॉफी कृषिकों की उत्पादन और कृषि मुद्दों संबंधी समस्याओं/चुनौतियों का समाधान करने के लिए कॉफी बोर्ड का निरंतर प्रयासरत रहा है। कॉफी बोर्ड हाईपर स्थानीय मौसम पूर्वानुमान, कीट (सफेद स्टेम बोरर) पहचान अनुप्रयोग, पत्ती जंग रोग पूर्वानुमान तथा ब्लॉक चैन आधारित मार्केटप्लेस ऐप्प पर प्रायोगिक परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा, कॉफी बोर्ड ने इस्टेट स्तर पर प्रभावी मिट्टी पोषक तत्व प्रबंधन के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड और कॉफी मिट्टी स्वास्थ्य निगरानी एवं प्रबंधन वेब पोर्टल (केएसएचईएमएएम) का शुभारंभ किया है। एक नया स्टेम बोरर सहनशील अरेबिका लाइन, एस 5.4595 विकसित किया गया है।

(ड.) : कॉफी बोर्ड वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे टेक्सास आधारित, विश्व कॉफी अनुसंधान (डब्ल्यूसीआर) के साथ सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रमों पर फोकस कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत, भारत सहित विभिन्न सहयोगी देशों द्वारा उनकी उपयुक्तता की जांच करने के लिए तथा अनुवर्ती वाणिज्यिक दोहन के लिए साझा की गई 30 अरेबिका किस्मों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बहु - स्थान विविधता परीक्षण (आईएमएलवीटी) स्थापित किये गये हैं।

(च) : कॉफी क्षेत्र 6.6 लाख श्रमिकों के लिए बागानों में प्रत्यक्ष रोजगार तथा कॉफी प्रसंस्करण एवं मूल्य श्रृंखला तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों में 13.4 लाख श्रमिकों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

वैश्विक व्यापार चुनौतियों हेतु उच्चस्तरीय पैनल

2098. श्री वी. एलुमलाई:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैश्विक व्यापार परिवेश में मौजूद चुनौतियों से निपटने के उपायों और अवसरों का अवलोकन करने हेतु एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के गठन की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह उच्च स्तरीय सलाहकार समूह अगले दो महीनों तक निरंतर बैठकें करेगा और भविष्य की व्यापार नीतियों के निर्माण हेतु प्रत्येक क्षेत्र को शामिल करते हुए संदर्भ के आलोक में कार्यान्वयन योग्य निश्चित सिफारिशें करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तरवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) : जी, हां ।

(ख) : सरकार द्वारा समकालीन वैश्विक व्यापार परिदृश्य में अवसरों की खोज करने, चुनौतियों का समाधान करने और उद्दावी मुद्दों का पहले से ही समाधान खोजने के संबंध में सिफारिश करने हेतु डॉ. सुरजीत एस भल्ला, निदेशक ऑक्सस अनुसंधान और निवेश, की अध्यक्षता में ग्यारह अन्य सदस्यों यथा श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, पूर्व विदेश सचिव एवं अध्यक्ष वैश्विक कॉरपोरेट अफेयर, टाटा ग्रुप; श्री राजीव खेर, पूर्व वाणिज्य सचिव और सदस्य, प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण; श्री संजीव सान्याल, प्रमुख आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय; श्री आदिल ज़ेनुलभाई, अध्यक्ष, भारतीय गुणवत्ता परिषद; डॉ. हर्षवर्धन सिंह, पूर्व उप-महानिदेशक, डब्ल्यूटीओ; डॉ. शेखर शाह, महानिदेशक, एनसीईआर; डॉ. विजय चौठाईवाले, विदेश नीति सलाहकार; डॉ. पुलोक घोष, आईआईएम बेंगलुरु; श्री जयंत दास गुप्ता, डब्ल्यूटीओ में भारत के पूर्व राजदूत; श्री राजीव के. लूथरा, संस्थापक और प्रबंध साझेदार, लूथरा एण्ड लूथरा; और श्री चन्द्रजीत बनर्जी, महानिदेशक, सीआईआई, को मिलाकर एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएली) का गठन किया गया है ।

(ग) और (घ) एच एलएली की नियमित बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और अब तक इसकी छः बैठकें की जा चुकी हैं । यह इसके विचारार्थ विषयों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार - विमर्श कर रही है ।

दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

एकीकृत कॉफी विकास परियोजना

2096. डॉ. जे. जयवर्धन:

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

श्री राजीव सातव:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री पी. आर. सुन्दरम:

श्री धनंजय महाडीक:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉफी बोर्ड एकीकृत कॉफी विकास परियोजना (आईसीडीपी) का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) परियोजना के लिए स्वीकृत/उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है और कॉफी बोर्ड को आईसीडीपी के अंतर्गत किस वर्ष से निधि प्राप्त होना आरंभ हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने इस परियोजना के लिए राजसहायता जारी करना बंद कर दिया है और कॉफी बोर्ड के लिए निधि आवंटन कम करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या फसल के खराब होने के कारण कई कॉफी उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितना मुआवजा वितरित किया गया है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) और (ख): जी हां। कॉफी बोर्ड 647.46 करोड़ रुपये के व्यय के साथ एकीकृत कॉफी विकास परियोजना (आईसीडीपी) लागू कर रहा है। आईसीडीपी की मुख्य विशेषताएं अनुबंध पर है।

(ग): एकीकृत कॉफी विकास परियोजना (आईसीडीपी) 12 वीं योजना अवधि (2012-13 से 2016-17) के दौरान शुरू की गई थी और मध्यावधि फ्रेमवर्क (2017-18 से 2019-20 के लिए) के दौरान जारी है। परियोजना के लिए स्वीकृत/उपयोग की गई निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

करोड़ रुपये में

वर्ष	जारी की गई	व्यय	टिप्पणियां
2012-13	146.55	147.21	जारी की गई निधि के अतिरिक्त व्यय आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) से पूरा किया जाता है।
2013-14	137.61	151.80	
2014-15	157.85	164.02	
2015-16	142.34	172.41	
2016-17	141.54	155.52	
2017-18	180.50	184.26	
2018-19 (18.12.2018 तक)	122.30	139.28	

(घ): जी नहीं।

(ड.) और (च) : पिछले तीन वर्षों के दौरान पारंपरिक कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में वर्षा की कमी के कारण फसल खराब होना सूचित किया गया और 12 वे प्लान के अंतिम दो वर्षों के दौरान आईसीडीपी के तहत 47.07 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति की गई । वर्तमान वर्ष के दौरान निरंतर भारी वर्षा से कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में काफी फसल हानि हुई । कॉफी बोर्ड ने नुकसान की जानकारी के आकलन के लिए राजस्व/बागवानी/कृषि विभाग के सहयोग से कर्नाटक और केरल में संयुक्त सर्वेक्षण किया और अपनी राष्ट्रीय आपदा राहत कोष /राज्य आपदा राहत कोष के तहत पात्र राहत की अदायगी के लिए संबंधित जिला प्रशासन को रिपोर्ट सौंप दी ।

एकीकृत कॉफी विकास परियोजना (आईसीडीपी) की मुख्य विशेषताएं

घटक -1: सतत कॉफी उत्पादन के लिए अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

- कॉफी की गुणवत्ता में सुधार के लिए रोग / कीट सहिष्णुता, कृषि, मृदा परीक्षण, कीट प्रबंधन और फसलोपरांत तकनीक के साथ रोपण सामग्री विकसित करना।
- बीज की आपूर्ति और बेहतर क्लोन किस्मों, मिट्टी की विश्लेषणात्मक सेवाएं, पत्ती, कृषि रसायन, जैव-कारकों और कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए ट्रेप की आपूर्ति के लिए उद्योग को समर्थन प्रदान करना, फील्ड समस्याओं को हल करने के लिए परामर्श
- विस्तार गतिविधियों, परामर्शी सेवाओं के माध्यम से किसानों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करना

घटक -2: शेयरधारकों को विकास सहायता

इस घटक में 4 उप-घटक हैं: -

- पारंपरिक क्षेत्रों में कॉफी के लिए विकास सहायता-पुनः पौधरोपण के लिए सब्सिडी, जल संवर्धन, पर्यावरण - प्रमाणीकरण और विपणन
- गैर पारंपरिक क्षेत्रों में कॉफी विकास कार्यक्रम - विस्तार / समेकन, गुणवत्ता उन्नयन (पल्पर्स और सुखाने वाले यार्ड के लिए) के लिए सब्सिडी और बाजार सहायता
- उत्तर- पूर्व क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम - विस्तार / समेकन के लिए सब्सिडी गुप नर्सरी के माध्यम से पौध को बढ़ाना , गुणवत्ता उन्नयन (पल्पर्स और सुखाने वाले यार्ड / ट्रे के लिए), जल संवर्धन (जल संग्रहण / सिंचाई इकाइयों), कॉफी विपणन के लिए सहायता
- श्रमिकों के बच्चों के लिए कल्याणकारी उपाय - श्रमिकों के बच्चों के कल्याण के लिए सब्सिडी

घटक -3: बाजार विकास और निर्यात संवर्धन

इस घटक में 4 उप-घटक हैं: -

- बाजार का विकास - पणधारियों को बाजार सूचना प्रदान करने और घरेलू बाजार में कॉफी का प्रचार करने के लिए
- निर्यात संवर्धन - उपयुक्त ब्रांडिंग के माध्यम से निर्यात बाजारों में भारतीय कॉफी को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों / एक्सपोज़ में भागीदारी, क्रेता -विक्रेता बैठक, कपिंग सत्र, कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में क्रेताओं / रोस्टर प्रतिनिधिमंडलों को आमंत्रित करना आदि।
- कॉफी निर्यात के लिए प्रोत्साहन और मूल्य वृद्धि के लिए प्रोत्साहन (लघु रोस्टिंग और पीसने वाली इकाइयां) - महत्वपूर्ण उच्च मूल्य वाले अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मूल्य वर्धित कॉफी और उच्च मूल्य विभेदित कॉफी की बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाकर निर्यात आय को अधिकतम करने के साथ-साथ छोटे उत्पादकों और निर्यातकों को रिटर्न में सुधार के लिए समर्थन मूल्य वृद्धि।

घटक -4: कॉफी बोर्ड का स्थापना व्यय

दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी की बैठक

2093. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:

श्री एस.आर. विजय कुमार:

श्री टी. राधाकृष्णन:

श्री एस. राजेन्द्रन:

कुँवर हरिवंश सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) की सदस्यता वाले देशों का ब्यौरा क्या है;
(ख) आरसीईपी के लक्ष्य और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या हाल में सिंगापुर में आरसीईपी की बैठक हुई थी;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैठक में कितने देशों ने भाग लिया;
(ङ) भारत द्वारा उठाए गए बिंदुओं/विषयों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी परिणाम क्या हैं; और
(च) विचार किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है, उक्त बैठक में प्रतिवादों की संख्या कितनी थी?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) से (ख) क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) दस आसियान सदस्य देशों और उनके छः मुक्त व्यापार करार (एफटीए) साझेदारों नामतः भारत, आस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य के मध्य एक आधुनिक, व्यापक, उच्च गुणवत्ता और पारस्परिक लाभकारी आर्थिक साझेदारी करार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रस्तावित व्यापार मुक्त व्यापार करार (एफटीए) हैं ।

(ग) से (च) जी हां, आरसीईपी प्रतिनिधियों की द्वितीय शिखर वार्त्ता दिनांक 14 नवम्बर 2018 को सिंगापुर में आयोजित की गई, इसके उपरांत व्यापार मंत्रियों की बैठक और विशेषज्ञ स्तर पर एक बैठक का आयोजन किया गया । सभी 16 भागीदारी देशों के प्रतिनिधियों ने वार्त्ताओं में हुई सारभूत प्रगति की पुष्टि की और आरसीईपी की वार्त्ताएं शीघ्र करने की अपनी प्रतिबद्धता पर पुनः बल दिया, भारत द्वारा बाजार पहुँच के प्रमुख स्तम्भों यथा माल, सेवा और निवेश के संबंध में आरसीईपी के सदस्य देशों की संवेदनशीलताओं और महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित परिणाम प्राप्त करने के महत्व पर बल दिया गया है ।

दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए
चाय नीलामी प्रणाली हेतु साफ्टवेयर

2085. श्रीमती एम. वसन्ती:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय बोर्ड ने, चाय की वर्तमान नीलामी प्रणाली में सुधार के लिए इस उद्योग को अपना साफ्टवेयर बनाने को कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चाय बोर्ड प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चाय बोर्ड को उद्योग की संवहनीयता में सुधार हेतु उत्पादों में विविधता लाने और उत्पादकता बढ़ाने की सलाह दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) : जी, नहीं ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : चाय बोर्ड उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहन देने और उत्पादकता में वृद्धि करने का समर्थक रहा है । “ चाय बोर्ड चाय विकास और संवर्धन योजना ” के अंतर्गत उत्पादकता और संवहनीयता में वृद्धि करने के लिए विकासात्मक गतिविधियाँ यथा पुनः - पौधरोपण, पुनरुज्जीवन और सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है । इस उद्योग की दीर्घकालिक संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिए भूमि यंत्रीकरण, लघु उत्पादकों के स्व - सहायता समूहों में सामूहिकीकरण, कृषक उत्पादक संगठनों, मूल्य वर्धन मशीनरी इत्यादि के लिए भी सहायता पहुँचाई जाती है । परम्परागत एवं हरी चाय के विनिर्माण के लिए उत्पाद विविधीकरण हेतु उत्पादकों को वित्तीय सहायता पहुँचाकर प्रोत्साहन दिया जाता है ।

दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात ऋण में गिरावट

***185. श्रीमती पूनमबेन माडम:**

डॉ. किरीट सोमैया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या निर्यात क्षेत्र के समक्ष ऋण प्रवाह संबंधी समस्या आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ख) क्या बैंकों द्वारा प्रदत्त निर्यात ऋण में विगत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तेजी से गिरावट आई है;
- (ग) यदि हां, तो रुपये और प्रतिशत की दृष्टि से तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिये जिम्मेदार कारक कौन से हैं;
- (घ) क्या मंत्रालय निर्यात क्षेत्र में ऋण प्रवाह को सुगम बनाने के लिये वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अनुमान के अनुसार निर्यात वित्त के प्रवाह को बनाये रखने हेतु सरकार द्वारा अन्य कौन से कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री सुरेश प्रभु)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“निर्यात ऋण में गिरावट” के संबंध में 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के तारांकित प्रश्न सं. 185 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको द्वारा प्रदत्त निर्यात ऋण सतत वृद्धि को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्यात ऋण हेतु बकाया शेष दिनांक 31.03.2017 को 2,43,505 करोड़ रुपये से बढ़कर दिनांक 31.03.2018 को 2,43,890 करोड़ रुपये तथा आगे दिनांक 30.09.2018 को 2,53,676 करोड़ रुपये हो गया।

(घ) से (ड.): जी हां। पूर्व एवं पंच पोतलदान रुपया निर्यात क्रेडिट संबंधी ब्याज समकरण स्कीम दिनांक 01.04.2015 से 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रारंभ की गई है ताकि निर्यातकों को कम दरों पर ऋण प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान की जा सके। स्कीम के अंतर्गत चिन्हित 416 प्रोग्राम लाइनों [4 अंकों के आईटीसी (एचएस) कोड में] के अंतर्गत सभी निर्यातों के लिए और सभी आईटीसी (एचएस) कोडों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा किए गए निर्यात हेतु 3 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज समकरण उपलब्ध कराया गया है। एमएसएमई निर्यातको द्वारा ऋण लेने में आगे सहायता प्रदान करने के लिए सभी आईटीसी (एचएस) कोडों के एमएसएमई उद्यमों द्वारा किए गए निर्यात हेतु दिनांक 02.11.2018 से ब्याज समकरण स्कीम के अंतर्गत ब्याज समकरण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया है। स्कीम का लाभ व्यापारिक वस्तुओं के निर्यातकों को उपलब्ध नहीं है।

“जीवित पशुओं के निर्यात” के संबंध में दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा ताराकित प्रश्न सं० 182 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): जीवित पशुओं (अनुलग्नक-1) के लिए आईटीसी (एचएस) 2018 अनुसूची-2 निर्यात नीति के अनुसार, जीवित आकर्षक पक्षियों (अल्बिनो बजरीगर, बजरीगर, बंगाली फिंच, व्हाइट फिंच, जेब्रा फिच को छोड़कर) का निर्यात निषिद्ध है। जीवित घोड़े (काठियावाड़ी, मारवाड़ी और मणिपुरी नस्ल), जीवित पशु और भैंस, जीवित ऊंट और अन्य कैमलिड तथा जावा स्पैरो आईटीसी (एचएस), 2018 अनुसूची-2 निर्यात नीति के अंतर्गत प्रतिबंधित श्रेणी में है जिसमें विदेशी व्यापार महानिदेशालय के लाइसेन्स के अधीन निर्यात अनुमत है। बकरियों सहित अन्य सभी जीवित पशुओं का सभी देशों में मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है।

भारतीय नस्ल के घोड़ों की आबादी में कमी और ऊंट तथा दुधारु पशुओं के भारतीय उन्नत जनन्द्रव (जर्मप्लाज्म) के निर्यात को रोकने एवं स्वदेशी नस्लों का समग्र संरक्षण और विकास करने के लिए उपर्युक्त जीवित पशुओं के निर्यात को प्रतिबंधित/निषिद्ध श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा, जीवित पशुओं को प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (डीएचडीएफ) द्वारा जारी गोजातीय जनन्द्रव (जर्मप्लाज्म) के निर्यात/आयात के दिशानिर्देशों के अनुसार ही दुधारु पशुओं का निर्यात/आयात किया जाए।

आईटीसी (एचएस), 2018

अनुसूची 2 - निर्यात नीति

अध्याय 1

जीवित पशु

टिप्पणी 1

शब्द "मवेशी" में गाय, बैल, सांड और बछड़े शामिल हैं

टिप्पणी 2

वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में यथा परिभाषित जंगली जानवरों और उनके उत्पादों का निर्यात उनके हिस्से सहित निषिद्ध है। विवरण के लिए भाग क में प्रतिबंध देखें।

टिप्पणी 3

मवेशियों के जर्मप्लाज्म को शीर्षक 0511 में वर्गीकृत किया गया है

क्र. सं.	प्रशुल्क मद एच एस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्तें
9	0101 21 00 ¹ 0101 29 10 0101 29 90	u	जीवित घोड़े काठियावाड़ी, मारवाड़ी और मणिपुरी नस्लें	प्रतिबंधित	लाइसेंस के तहत निर्यात अनुमत।
10	0102 21 10 ² 0102 21 20 0102 29 10 0102 29 90 0102 31 00 0102 90 10 0102 90 90	u	जीवित मवेशी और भैंस	प्रतिबंधित	लाइसेंस के तहत निर्यात अनुमत।
11	0106 13 00 ³	u	ऊंट और अन्य केमलिडस (कैमीलिडी)	प्रतिबंधित	लाइसेंस के तहत निर्यात अनुमत।

¹ एचएसकोड 010110 वर्ष 2009 की नीति तक मौजूद था। तथापि, इसे वर्ष 2012 और वर्ष 2017 की आयात नीति में बदलकर 01012100 कर दिया गया। तदनुसार नए कोड जोड़े गए।

² एचएसकोड 01021010 वर्ष 2009 की नीति तक मौजूद था। तथापि, इसे 2012 और 2017 की आयात नीति में बदलकर 010221, 0102 29 और 0102 310102 90 किया गया। नये कोड जोड़े गए।

³ आयात नीति 2017 के अनुसार 01061300 से बदला गया है।

12	0106 31 00 0106 32 00 0106 33 00 ⁴ 0106 39 00	u	जीवित आकर्षक पक्षी, सिवाए आकर्षक पक्षियों की निम्नलिखित प्रजातियों को छोड़कर, जिसके लिए नीति उनके नाम के आगे दर्शाई गई है।	निषिद्ध	निर्यात करने की अनुमति नहीं है
13	0106 32 00	u	(i) अलबिनो बजरीगर	मुक्त	पूर्व-पोतलदान निरीक्षण के अधीन
14	0106 32 00	u	(ii) बजरीगर	मुक्त	पूर्व-पोतलदान निरीक्षण के अधीन
15	0106 39 00	u	(iii) बंगाली फिंच	मुक्त	पूर्व-पोतलदान निरीक्षण के अधीन
16	0106 39 00	u	(iv) व्हाइट फिंच	मुक्त	पूर्व-पोतलदान निरीक्षण के अधीन
17	0106 39 00	u	(v) ज़ेबरा फिंच	मुक्त	पूर्व-पोतलदान निरीक्षण के अधीन
18	0106 39 00	u	(vi) जावा स्पैरो	प्रतिबंधित	लाइसेंस के तहत निर्यात अनुमत । संबंधित राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन जहां से आकर्षक पक्षियों (जावा स्पैरो) को अधिप्राप्त किया गया है, से इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि निर्यात किए जाने वाले पक्षी कैप्टिव ब्रेड स्टॉक से हैं। यदि अनुमति दी जाती है तो निर्यात पूर्व-पोतलदान निरीक्षण और सीआईटीईएस प्रमाण पत्र के अधीन होगा

⁴ आयात नीति 2017 के अनुसार नए एचएसकोड 0106 3300 (ऑस्ट्रेलिया, इमुज) को जाड़ा गया।